



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

आश्विन 19, मंगलवार, शाके 1944-अक्टूबर 11, 2022
Asvina 19, Tuesday, Saka 1944- October 11, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 29, 2022

जी.एस.आर.82 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवा के पदों पर भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

भाग 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवा नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,-

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से सरकार या ऐसा कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त शक्तियां प्रत्यायोजित की जाये;
- (ख) "महाविद्यालय" से शास्त्री या आचार्य महाविद्यालय अभिप्रेत है;
- (ग) "आयोग" से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
- (घ) "समिति" से नियम 29 और यथास्थिति, नियम 30 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
- (ङ) "निदेशक" से निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान अभिप्रेत है;
- (च) "सीधी भर्ती" से इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है;

- (छ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;
- (ज) "सेवा का सदस्य" से इन नियमों या इन नियमों द्वारा निरसित किये गये नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन सेवा में किसी पद पर नियमित चयन के आधार पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (झ) "विनियम" से राज्य सरकार द्वारा यथा अंगीकृत और समय-समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 अभिप्रेत है;
- (ञ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत है;
- (ट) "सेवा" से राजस्थान संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवा अभिप्रेत है;
- (ठ) "अधिष्ठायी नियुक्ति" से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में की गयी कोई नियुक्ति भी है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता हो;

टिप्पण : इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के अन्तर्गत, अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं भी नियमों के उपबंधों के अनुसार की गयी भर्ती आयेगी; और

- (ड) "सेवा" या "अनुभव" से जहाँ कहीं भी इन नियमों में, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी निम्नतर पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की दशा में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो, उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे निम्नतर पद (पदों) पर निरन्तर कार्य किया हो

टिप्पण: सेवा के दौरान की ऐसी अनुपस्थिति उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन 'ड्यूटी' के रूप में मानी जाती है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में गिनी जायेगी।

- (ढ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है, और
- (ण) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. निर्वचन- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग 2**संवर्ग**

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या- (1) सेवा, अनुसूची-1 के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट प्रशासनिक और अध्यापन पदों से गठित होगी।

- (2) सेवा के प्रत्येक प्रवर्ग में सम्मिलित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूची-1 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट है।
- (3) सेवा के प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या ऐसी होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये :

परन्तु सरकार-

- (क) आवश्यक पाये जाने पर कोई भी स्थायी या अस्थायी पद (पदों) को समय-समय पर सृजित कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद (पदों) को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी; और
- (ख) किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय-समय पर खाली या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त कर सकेगी।

5. सेवा का गठन - सेवा निम्नलिखित से गठित होगी,-

- (क) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पदों को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति;
- (ख) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा में सम्मिलित पद (पदों) पर भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति; और
- (ग) नियम 37 के अधीन किसी अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति को छोड़कर, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गए समस्त व्यक्ति ।

भाग 3**भर्ती**

6. भर्ती की रीतियां.- (1) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् सेवा में के पदों पर भर्ती निम्नलिखित रीतियों से अनुसूची-1 के स्तम्भ 3 में यथा उपदर्शित अनुपात में की जायेगी, अर्थात्:

- (क) इन नियमों के भाग 4 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा, और
- (ख) इन नियमों के भाग 5 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन या पदोन्नति द्वारा।
- (2) उपर्युक्त रीतियों द्वारा सेवा में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक रीति से सेवा में नियुक्त व्यक्ति किसी भी समय इन नियमों/अनुसूचियों में अधिकथित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समय-समय पर स्वीकृत कुल संवर्ग संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं हों :

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का आयोग से परामर्श करके यह समाधान हो जाये कि किसी वर्ष - विशेष में भर्ती की किसी एक रीति से नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो नियुक्ति विहित अनुपात को शिथिल करते हुए, अन्य रीति से उसी प्रकार की जा सकेगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

- (3) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आपात के दौरान थल सेना / वायुसेना / नौसेना में पदग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि

ऐसे आदेशों और अनुदेशों से विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, बशर्ते कि इन्हें भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किया जाये।

7. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण:- (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती अर्थात् सीधी भर्ती और पदोन्नति के समय प्रवृत्त विधि के उपबंध के अनुसार होगा।

- (2) पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता-एवं- योग्यता तथा योग्यता द्वारा भरी जायेंगी।
- (3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए उसी क्रमानुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा तथा पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के मामले में, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।
- (4) नियुक्ति सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विहित पृथक्-पृथक् रोस्टरों के अनुसार की जायेगी।
- (5) किसी वर्ष - विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों और यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्पूर्वी तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रणीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी:

परन्तु, -

- (i) यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा।
- (ii) इस उप - नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्वी वर्षों में उपलब्ध हो ।
- (6) किसी वर्ष - विशेष में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों और, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का / के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है / जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जायेगी। आपवादिक मामलों में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करे कि रिक्त आरक्षित पद (पदों) को अर्जेंट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पदोन्नति द्वारा भरना आवश्यक है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेंट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को पदोन्नत करके ऐसे पद (पदों) को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को, जिन्हें अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के

लिए आरक्षित रिक्त पद के प्रति अर्जेंट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का / के अभ्यर्थी उपलब्ध हो / हों वह पद रिक्त करना होगा :

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पदों या पदों के वर्ग / प्रवर्ग / समूह की रिक्तियों को वहां अग्रणीत नहीं किया जायेगा, जहां पदोन्नतियां इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

8. पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण- पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा। किसी वर्ष - विशेष में पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण:- सीधी भर्ती में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 10 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में से पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' वे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जिनके कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के लिए 'कुटुम्ब' में, वह व्यक्ति, जो आरक्षण का फायदा चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु की बहिन / भाई, उसका पति / उसकी पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु की सन्तानें भी सम्मिलित होंगी। 'आय' में समस्त स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारबार, वृत्ति आदि से आय सम्मिलित होगी और यह आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय होगी।

10. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण:- सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30 प्रतिशत प्रवर्गवार होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष-विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में भी पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को पहले अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग, जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं, के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्त पश्चात्पूर्ति वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

11. राष्ट्रीयता.- सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
- (ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
- (घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो, या
- (ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा संयुक्त तंजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया हो: परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

12. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें. - इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु-सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

13. रिक्तियों का अवधारण.- (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।

- (2) जहां कोई पद नियम या अनुसूची में यथाविहित किसी एकल रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उस रीति से भरी जायेंगी।
- (3) जहां कोई पद इस नियम या अनुसूची में यथाविहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहां ऐसी प्रत्येक रीति के लिए उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पहले ही भर लिये गये पदों की संपूर्ण संख्या के विहित अनुपात को बनाये रखते हुए किया जायेगा। यदि ऊपर विहित रीति से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात् रिक्तियों का कोई भाग छूट जाये तो उसे पदोन्नति कोटे में अग्रता देते हुए, निरंतर चक्रीय क्रम में विहित विभिन्न रीतियों के कोटे के प्रति प्रभाजित किया जायेगा।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वतर वर्ष (वर्षों) की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा बशर्ते कि ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गयी हों और उस वर्ष में, जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

14. आयु. - (1) अनुसूची-1 में प्रगणित पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए :

परन्तु,-

- (i) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को-
 - (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;

- (ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थी के मामले में 5 वर्ष तक ; और
- (ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक, शिथिल किया जायेगा।
- (ii) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;
- (iii) किसी भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा;
- (iv) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में होते, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे ;
- (v) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा;
- (vi) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे ;
- (vii) राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और पब्लिक सेक्टर उपक्रम / निगम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी;
- (viii) विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी,
- स्पष्टीकरण :** किसी विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न- विवाह के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
- (ix) यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का / की नहीं हुआ / हुई है।

15. शैक्षणिक और तकनीकी अर्हता तथा अनुभव.- अनुसूची-1 में प्रगणित पदों पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हता रखेगा-

- (i) अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथाविहित अर्हताएं तथा अनुभव; और
- (ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान :

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती हेतु इन नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु उसे-

- (i) जहां चयन लिखित परीक्षा के दो प्रक्रमों और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व ;
- (ii) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व ;
- (iii) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व, समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

16. चरित्र - सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षणिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सचचरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और साथ ही ऐसे दो प्रमाण पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिए जो उसके विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हों और न उसके संबंधी हो।

टिप्पणः (1) किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र में सचचरित्रता प्रमाणपत्र न दिये जाने का आधार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका संबंध अपराधों या हिंसा या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है, जिनका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्धि मात्र को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चात्कर्ती सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पूर्व में सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता या हिंसा अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे पश्चात्कर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला - विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता या हिंसा अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया गया है. पश्चात्कर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक का या यदि किसी जिला - विशेष में ऐसा गृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्कर्ती देखरेख गृह में अपने पश्चात्कर्ती सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

17. शारीरिक उपयुक्तता.- सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुकस नहीं होना चाहिए जिससे सेवा

के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पदों के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

- 18. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.-** कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेजों को, जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन जो भी हो काम में लाने का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दण्डित कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त,-
- (क) अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से आयोग द्वारा; और
- (ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा, या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।
- 19. संयाचना .-** इन नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थिता हेतु समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरहित कर सकेगा।

भाग 4

सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

- 20. सीधी भर्ती की आवृत्ति.** - अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी जब तक सरकार यह विनिश्चय न करे कि इन पदों में से किसी पद पर सीधी भर्ती किसी वर्ष - विशेष में आयोजित नहीं की जायेगी।
- 21. आवेदन आमंत्रित करना** - सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आयोग द्वारा, भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो उनके द्वारा ठीक समझी जाये, विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित पद के वेतन मैट्रिक्स के लेवल में वेतन, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा :

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय आयोग, यदि विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना उन्हें चयन से पूर्व प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

22. **आवेदन का प्ररूप:-** आवेदन आयोग द्वारा अनुमोदित प्ररूप में किया जायेगा और आयोग के कार्यालय से ऐसी फीस का संदाय करके, जो आयोग द्वारा समय-समय पर नियत की जाये प्राप्त किया जा सकेगा।
23. **आवेदन फीस:-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आयोग द्वारा नियत फीस का, ऐसी रीति से, जो उपदर्शित की जाये, संदाय करेगा।
24. **आवेदनों की संवीक्षा -** आयोग उनके द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा। ऐसे आवेदन जो अपूर्ण पाये जायें और आयोग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार नहीं भरे गये हैं, प्रारंभिक स्तर पर अस्वीकार किये जायेंगे। आयोग शेष अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनंतिम रूप से अनुज्ञात करेगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक कि वह परीक्षा के लिए आयोग द्वारा दिया गया अनुज्ञा प्रमाणपत्र धारित न करता / करती हो। परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, अभ्यर्थी द्वारा इन नियमों में यथा उपबंधित आयु और शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव आदि के संबंध में अपनी पात्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए। परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा का हकदार नहीं बनायेगा। नियम 26 के अधीन सूची तैयार करने से पूर्व आयोग तत्पश्चात् केवल ऐसे अभ्यर्थी जो नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये हैं, के आवेदनों की संवीक्षा करेगा:

परन्तु किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

25. **परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण.-** (1) सेवा में के पद पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोग द्वारा अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट स्कीम के अनुसार संचालित किये जायेंगे।
- (2) आयोग किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो लिखित परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक तथा कुल मिलाकर 36% अंक प्राप्त करने में असफल हो गया है।
26. **आयोग की सिफारिशें .-** आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वह संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, परीक्षा और साक्षात्कार में कुल प्राप्तांकों के आधार पर योग्यताक्रम में उनके नामों की एक सूची तैयार करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा:

परन्तु आयोग विज्ञापित रिक्तियों की 50 प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम भी आरक्षित सूची में रख सकेगा और अध्यपेक्षा किये जाने पर ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यताक्रम में सिफारिश, उस तारीख से, जिसको मूल सूची आयोग द्वारा सरकार को अग्रेषित की जाती है, छह मास के भीतर-भीतर सरकार को की जा सकेगी।

27. **नियुक्ति के लिए निरर्हता -** (1) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।
- (2) कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से ही कोई पत्नी जीवित है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।
- (3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी यदि उसने अपने विवाह के समय किसी भी समय कोई दहेज स्वीकार किया था।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु,-

- (i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निरहित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है;
- (ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्पूर्वी किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा;
- (iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो;
- (iv) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

28. **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन** - नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 7, 8, 9 और 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए योग्यता क्रम में नियम 26 के अधीन तैयार की गयी सूची में अभ्यर्थियों का चयन करेगा:

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।

29. **अनुवीक्षण-एवं-मूल्यांकन समिति.** - (1) सहायक आचार्य / पुस्तकालयाध्यक्षों / शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों में के समतुल्य संवर्गों में से एक स्तर से अन्य उच्चतर स्तर पर पदोन्नति के लिए अनुवीक्षण-एवं-मूल्यांकन समिति (सीएस) निम्नलिखित से गठित होगी-

1. आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट उसका कोई सदस्य अध्यक्ष
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग सदस्य
3. कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव या शासन उप सचिव से अनिम्न रैंक का उसका कोई नाम निर्देशित सदस्य
4. दो विषय विशेषज्ञ (संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले) सदस्य
5. अनु.जा./ अनु.ज.जा./पि.व./ अ.पि.व./ अल्पसंख्यक / महिला / निःशक्तजन प्रवर्ग का कोई शिक्षाविद् (संस्कृत शिक्षा विभाग में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला) सदस्य
6. आयुक्त / निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सदस्य-सचिव

(2) अध्यक्ष या आयोग का सदस्य, समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा :

परन्तु यदि समिति गठित करने वाला कोई सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य-सचिव संबंधित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो तत्समय पद का भारसाधक अधिकारी समिति का सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य-सचिव होगा।

- (3) अनुवीक्षण-एवं- मूल्यांकन समिति, इन विनियमों पर आधारित प्रणाली तंत्र प्रोफार्मा और निर्धारण मानदण्ड के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा अर्जित ग्रेड्स के सत्यापन / मूल्यांकन पर और विनिर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षा के अनुसार, -
 - (क) परिशिष्ट-II में, सहायक आचार्य के प्रत्येक संवर्ग के लिए तालिका 1;
 - (ख) परिशिष्ट-II में, पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रत्येक संवर्ग के लिए तालिका 4; और
 - (ग) परिशिष्ट-II में, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के प्रत्येक संवर्ग के लिए तालिका 5, की, सीएसके के लिए कार्यान्वयन के अधीन अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) की पदोन्नति के लिए उपयुक्तता के बारे में सरकार से सिफारिश करेगी।
- (4) चयन प्रक्रिया, चयन समिति की बैठक के दिन / अंतिम दिन को पूर्ण होगी, जिसमें कार्यवृत्त अभिलिखित किये जायेंगे और साक्षात्कार के प्रदर्शन के आधार पर की गयी सिफारिश को चयन समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- (5) समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट परिशिष्ट-II के आधार पर विहित रूपविधान में वार्षिक स्व- मूल्यांकन प्रतिवेदन, निर्धारण प्रक्रिया के लिए अपेक्षित होगा।
- (6.) पदोन्नति के संबंध में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा समय-समय पर यथा संशोधित, कार्मिक विभाग द्वारा यथा विहित मानक भी, समिति द्वारा निर्धारण के लिए लागू होंगे।

भाग-V

चयन और पदोन्नति के लिए पात्रता और प्रक्रिया

30. (1) **पात्रता.-** (i) निदेशक / महाविद्यालयों के प्राचार्य / संयुक्त निदेशक के पद, अनुसूची-I में यथा विहित चयन द्वारा स्तंभ सं. 6 में यथा उल्लिखित न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए, भरे जायेंगे।
 - (ii) समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट परिशिष्ट-II में यथा उपदर्शित कार्य आधारित मूल्यांकन पद्धति (पीबीएस) और निर्धारण मानदण्ड तथा प्रणाली तंत्र पर आधारित, शैक्षणिक कार्य सूचक (एपीआई) लागू होगा।
 - (iii) समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट परिशिष्ट-II के आधार पर विहित रूपविधान में वार्षिक स्व- मूल्यांकन प्रतिवेदन, निर्धारण प्रक्रिया के लिए अपेक्षित होगा।
 - (iv) निर्धारण के लिए, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भी लागू होंगे।
 - (v) किसी भी व्यक्ति पर चयन / पदोन्नति के लिए विचार तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह इन नियमों के अधीन नियमित रूप से चयनित न हो।
- (2) **चयन के लिए प्रक्रिया.-** इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी, निदेशक/ महाविद्यालयों के प्राचार्य / संयुक्त निदेशक की वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या, प्रत्येक वर्ष के प्रथम अप्रैल को, उन्हें पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने के लिए अवधारित करेगा। चयन प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त, आयोग की सहमति से सरकार द्वारा पश्चात्पूर्वी जारी किये जायेंगे।

(3) चयन / पदोन्नति.- (i) समिति का गठन:-

1. आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट उसका कोई सदस्य अध्यक्ष
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग सदस्य
3. कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव या शासन उप सचिव से अनिम्न रैंक का उसका कोई नाम निर्देशित सदस्य
4. दो विषय-विशेषज्ञ (संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले) सदस्य
5. यदि खण्ड (iii) के उपबंधानुसार आवश्यक हो तो, अनु.जा./ अनु.ज.जा. /पि.व./ अ.पि.व./ अल्पसंख्यक / महिला / निःशक्तजन प्रवर्ग का कोई शिक्षाविद् (संस्कृत शिक्षा विभाग में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला) सदस्य
6. आयुक्त / निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सदस्य-सचिव

(ii) अध्यक्ष या आयोग का सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा:

परन्तु यदि समिति गठित करने वाला कोई सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य - सचिव को संबंधित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो तत्समय पद का भारसाधक अधिकारी समिति का सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य-सचिव होगा।

- (iii) यदि चयन समिति की उपरोक्त सदस्यों में से कोई उस प्रवर्ग का नहीं हो तो, अनु.जा./ अनु.ज.जा./पि.व./ अ.पि.व./ अल्पसंख्यक / महिला / निःशक्तजन प्रवर्गों को प्रदर्शित करने वाले किसी शिक्षाविद् का, यदि इन प्रवर्गों में का कोई अभ्यर्थी आवेदक है तो, सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना।
- (iv) समिति द्वारा योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थी के नाम वरिष्ठता क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे और सरकार को निदेशक, महाविद्यालय का प्राचार्य / संयुक्त निदेशक के पद पर उनके चयन हेतु अग्रेषित किये जायेंगे।

31. आचार्य के पद पदोन्नति के लिए पात्रता और प्रक्रिया .- (1) पात्रता और प्रक्रिया.-

- (i) अनुसूची-1 में यथा विहित आचार्य का पद, समय-समय पर यथा संशोधित, विनियमों में यथा उल्लिखित स्तंभ 6 के अनुसार उनके द्वारा धारित न्यूनतम अर्हता और अनुभव के अध्यक्षीन रहते हुए, चयनित वर्ष के 1 अप्रैल को पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
 - (ii) समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट परिशिष्ट-II में यथा उपदर्शित कार्य आधारित मूल्यांकन पद्धति (पीबीएस) और निर्धारण मानदण्ड तथा प्रणालीतंत्र पर आधारित, शैक्षणिक कार्य सूचक (एपीआई) लागू होगा।
 - (iii) समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट परिशिष्ट-II के आधार पर विहित रूपविधान में वार्षिक स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन, निर्धारण प्रक्रिया के लिए अपेक्षित होगा।
 - (iv) पदोन्नति के संबंध में, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा समय-समय पर यथा संशोधित, कार्मिक विभाग द्वारा यथा विहित मानक भी, समिति द्वारा निर्धारण के लिए लागू होंगे।
 - (v) आचार्य का पद, सहायक आचार्य के पद से 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
 - (vi) आचार्य के पद पर पदोन्नति सर्वथा पद के विषय-वार उपलब्धता की शर्त पर ही की जायेगी।
- (2) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय आचार्य के पद पर पदोन्नति नियम 30 के उप-नियम (3) खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा की जायेगी।

32. सह आचार्य, सहायक आचार्य / पुस्तकालयाध्यक्ष / शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (वरिष्ठ वेतनमान) और सहायक आचार्य / पुस्तकालयाध्यक्ष / शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (चयन वेतनमान) के पद पदोन्नति के लिए प्रक्रिया.- (1) पदोन्नति के लिए पात्रता और प्रक्रिया.-

- (i) निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा, प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसे पात्र अभ्यर्थियों जो समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में यथा अधिकथित पदोन्नति मानदण्ड को पूरा करते हैं, के निर्धारण के लिए एक सूची तैयार की जाती है। निर्धारण, नियम 29 के अधीन गठित समिति द्वारा किया जायेगा और पदोन्नति, नियम 30 के उप-नियम (3) खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा की जानी है।
 - (ii) समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट परिशिष्ट-II में यथा उपदर्शित कार्य आधारित मूल्यांकन पद्धति (पीबीएस) और निर्धारण मानदण्ड तथा प्रणाली तंत्र पर आधारित, शैक्षणिक कार्य सूचक (एपीआई) लागू होगा।
 - (iii) समय-समय पर यथा संशोधित, विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट परिशिष्ट-II के आधार पर विहित रूपविधान में वार्षिक स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन, निर्धारण प्रक्रिया के लिए अपेक्षित होगा।
 - (iv) पदोन्नति के संबंध में, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा समय-समय पर यथा संशोधित, कार्मिक विभाग द्वारा यथा विहित मानक भी, समिति द्वारा निर्धारण के लिए लागू होंगे।
- (2) समिति द्वारा उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची, सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों, साथ ही ऐसे व्यक्तियों, जो चयनित नहीं हुए, यदि कोई हो, के ब्यौरों सहित नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेगी।

33. पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया.- (1) ज्योंही नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के नियम 14 के अधीन रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चय करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं त्योंही वह उप-नियम (6) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा, जो संबंधित पद के वर्ग की वरिष्ठता-एवं-योग्यता या योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

- (2) सुसंगत अनुसूची का पद जिससे पदोन्नति की जानी है, के संबंध में सुसंगत स्तंभ में प्रगणित व्यक्ति, पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव से संबंधित सुसंगत स्तंभ में उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए, उसके स्तंभ 3 में उपदर्शित सीमा तक, स्तंभ सं. 2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।
- (3) किसी भी व्यक्ति की सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी हो, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार नियमित रूप से चयनित न हुआ हो।

स्पष्टीकरण : यदि किसी वर्ष-विशेष में किसी पद पर पदोन्नति द्वारा नियमित चयन के पूर्व सीधी भर्ती कर ली गयी हो तो ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए भी विचार किया जायेगा जो भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं या थे और जो पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

- (4) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, तीन भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों :

परन्तु.-

- (i) दो से अधिक संतानों वाला सरकारी कर्मचारी पदोन्नति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को थी, बढ़ोतरी नहीं होती है।
 - (ii) जहां किसी सरकारी कर्मचारी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्पूर्वी किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
 - (iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।
 - (iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
- (5) राज्य सेवा में सम्मिलित पद पर पदोन्नति के लिए चयन वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर किया जायेगा :

परन्तु सेवा में के उच्चतम पद पर पदोन्नति, यदि यह कम से कम तीसरी पदोन्नति है, केवल योग्यता के आधार पर की जायेगी :

परन्तु यह और कि यदि विभागीय पदोन्नति समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष-विशेष में सर्वथा योग्यता के आधार पर उच्चतम पद पर पदोन्नति द्वारा चयन के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो उच्चतम पद पर वरिष्ठता-एवं- योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन उसी रीति से किया जा सकेगा जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

- (6) (i) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या - सीमा निम्नलिखित होगी:

रिक्तियों की संख्या	विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या
(क) एक रिक्ति के लिए	पांच पात्र व्यक्ति
(ख) दो रिक्तियों के लिए	आठ पात्र व्यक्ति
(ग) तीन रिक्तियों के लिए	दस पात्र व्यक्ति
(घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का तीन गुना

- (ii) जहां उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।
- (iii) जहां अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की संख्या - सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहां विचार की संख्या- सीमा रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक बढ़ायी जा सकेगी और इस प्रकार बढ़ायी गयी विचार की संख्या - सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति (कोई

अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों के बारे में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति भी विचार किया जायेगा।

(iv) सेवा में के किसी पद के लिए: -

(क) यदि पदोन्नति समान वेतनमान में एक से अधिक पद- प्रवर्गों में से होनी हो तो समान वेतनमान में के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग से संख्या में दो तक पात्र व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा ;

(ख) यदि पदोन्नति भिन्न-भिन्न वेतनमान वाले एक से अधिक पद-प्रवर्गों से होनी हो तो पदोन्नति के लिए पहले, उच्चतर वेतनमान में के पात्र व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा और यदि उच्चतर वेतनमान में योग्यता या, यथास्थिति, वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो केवल तब ही निम्नतर वेतनमान में के अन्य पद -प्रवर्गों के पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। इस मामले में पात्रता के लिए विचार की संख्या- सीमा कुल मिलाकर पाँच वरिष्ठतम पात्र व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी।

- (7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें, समिति के गठन और चयन के लिए प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र विहित है।
- (8) समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद (पदों) के वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति के लिए मानदण्ड के अनुसार वरिष्ठता-एवं- योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर नामों की एक सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता-एवं- योग्यता के आधार पर और / या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची पद (पदों) के उस प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी जिसमें से चयन किया गया है।
- (9) समिति, इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति के लिए मानदण्ड के अनुसार, वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर भी एक सूची तैयार करेगी जिसमें, अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो पश्चात्कर्ती हों, भरने के लिए उपर्युक्त उप-नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों की संख्या से अनधिक व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे। वरिष्ठता-एवं- योग्यता के आधार पर या, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची पदों के उस प्रवर्ग में, जिसमें से चयन किया जाये, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को ऐसी समिति द्वारा पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चात्कर्ती वर्ष में हो और ऐसी सूची, ऐसे वर्ष के अंतिम दिन तक जिसके लिए समिति की बैठक की जाये प्रवृत्त रहेगी।
- (10) उप-नियम (8) और (9) के अधीन तैयार की गयी सूचियां, उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के, जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हों, के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन / वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों और अन्य सेवा अभिलेखों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेगी ;

स्पष्टीकरण : योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जायेगा यदि उसका उस वर्ष से, जिसके लिए समिति की बैठक आयोजित की जाये, पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम चार वर्ष का अभिलेख "उत्कृष्ट" या "बहुत अच्छा" न हो।

- (11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात, यदि किसी पश्चात्पूर्व वर्ष में, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती हैं तो पदोन्नति समिति उस वर्ष, जिसमें समिति की बैठक आयोजित की जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, पात्र होते और ऐसी पदोन्नति उस वर्ष-विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियां संबंधित हैं, पदोन्नति के लिए लागू मानदण्ड और प्रक्रिया द्वारा शासित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की ऐसी कालावधि की सेवा / अनुभव को, जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पुनर्निधारित किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- (12) सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या समिति के विनिश्चय को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय / निदेश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में की प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पुनर्विलोकन समिति की बैठक आयोजित किये जाने से पूर्व कार्मिक विभाग की और आयोग (जहां आयोग सहबद्ध हो) की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।
- (13) जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहां समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर समिति द्वारा विचार किया गया है, वैयक्तिक पत्रावलियों और वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित, आयोग को अग्रेषित की जायेंगी।
- (14) आयोग, समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियों, साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये, सूचियों का अनुमोदन करेगा। यदि आयोग, नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरणों सहित, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।
- (15) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां पूर्ववर्ती उप-नियम (14) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उनके नाम

- सूचियों में रखे गये हैं, जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जायें या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जायें।
- (16) सरकार, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अनंतिम तौर पर संव्यवहार करने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नतियों पर विचार किया जाये जिसके लिए वे पात्र हैं या ऐसे निलंबन या ऐसी जांच या कार्यवाही के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।
- (17) इन नियमों के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियम के उपबंध प्रभावी होंगे।
34. **पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन** .- यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है, और यदि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चात्पूर्ति दो भर्ती वर्षों के लिए, जिनके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्तियों के नाम, जो पदोन्नति छोड़ देते हैं, पश्चात्पूर्ति दो भर्ती वर्षों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता-एवं- पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

भाग - 6

नियुक्ति, परीक्षा और स्थायीकरण

35. **सेवा में नियुक्ति**.- सेवा में के पद (पदों) पर सीधी भर्ती या, यथास्थिति, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, अधिष्ठायी रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 26 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से योग्यताक्रम में और नियम 33 के अधीन चयनित व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।
36. **वरिष्ठ पद पर नियुक्ति**.- वरिष्ठ पद (पदों) पर नियुक्ति अनुसूची-1 के स्तंभ 3 और 5 में यथा उपदर्शित सीधी भर्ती द्वारा / या पदोन्नति द्वारा / या चयन द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी। पदोन्नतियां, इन नियमों के भाग 5 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सेवा के सदस्यों में से की जायेंगी।
37. **अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति**.- (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, सरकार या, यथास्थिति, नियुक्तियों करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न हैसियत में नियुक्ति करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र हो, जब ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबंधों के अधीन उपबंधित हो, अस्थायी रूप से नियुक्त करके, भरा जा सकेगा ;

परन्तु ऐसी कोई नियुक्ति आयोग को उसकी सहमति के लिए, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्दिष्ट किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए जारी नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इनकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी ;

परन्तु यह कि सेवा या सेवा में के ऐसे किसी पद के संबंध में, जिसके लिए भर्ती की दोनों रीतियां विहित हों, सरकार या यथास्थिति, नियुक्ति करने के लिए सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सेवा के मामले में सरकार के कार्मिक विभाग और अन्य सेवाओं के संबंध में सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग की विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना, सीधी भर्ती के कोटे की किसी अस्थायी रिक्ति को पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्तियों में से भरी जाये, तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं भरेगा।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में सरकार उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्त होने पर भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो वह निर्दिष्ट करे, अर्जेंट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी। तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उक्त उप-नियम के अधीन यथा- अपेक्षित, आयोग की सहमति के अध्यक्षीन होंगी।

38. वरिष्ठता.- सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेंट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी :

परन्तु , -

- (i) किसी ग्रुप - विशेष में पदों पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो सेवाग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उन्हें नियम 26 के अधीन तैयार की गयी सूची में रखा गया है ;
- (ii) किसी ग्रुप - विशेष में पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, उसी क्रम में होगी जिस प्रकार उनके नाम नियम 33 के उप-नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में रखे गये हैं।
- (iii) एक ही वर्ष में भिन्न-भिन्न पदों से एक ही ग्रुप में के पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, उस पद, जिससे पदोन्नति की जानी है, पर उनकी अधिष्ठायी नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी।
- (iv) यदि दो या अधिक व्यक्ति पदोन्नति के लिए पात्र हैं तो पात्र अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची उस पद जिससे पदोन्नति की जानी है पर नियमित नियुक्ति की तारीख के आधार पर तैयार की जायेगी।
- (v) ऐसे चयन के, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्यक्षीन न हो, परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों से रैंक में वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्पूर्वी चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये जाते हैं;

- (vi) एक ही चयन में वरिष्ठता-एवं- योग्यता के आधार पर और योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनसे ठीक निम्नतर ग्रेड में है;
- (vii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पारिणामिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण, रोस्टर बिन्दुओं के निःशेष होने और पदोन्नति की पर्याप्तता होने तक जारी रहेगा। एक बार रोस्टर बिन्दुओं के पूर्ण होने पर, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए चिह्नित रिक्तियां जब कभी भी हों, पदोन्नति में इसके पश्चात् प्रतिस्थापन के सिद्धान्त का प्रयोग किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: पर्याप्त प्रतिनिधित्व से रोस्टर बिन्दू के अनुसार अनुसूचित जातियों का 16 प्रतिशत प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जनजातियों का 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अभिप्रेत है।

- 39. परिवीक्षा की कालावधि.-** (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा:

परन्तु ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि, जिसमें किसी व्यक्ति को तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की कालावधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन - प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की जो सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

- 40. कतिपय मामलों में स्थायीकरण.-** (1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में किसी पद पर अस्थायी तौर पर या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा हुई नियमित भर्ती के पश्चात् उसके सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने की दशा में दो वर्ष की सेवा के परिवीक्षाकाल के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर छह मास की कालावधि के भीतर या पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने की दशा में एक वर्ष की सेवा की कालावधि के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा यदि

- (i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता ;
- (ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यक्षीन रहते हुए स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता हो; और
- (iii) विभाग में स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो।

(2) **उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी यदि उक्त उप-नियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उक्त उप-नियम में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 और अन्य किन्हीं नियमों के अधीन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के लिए यथाविहित कालावधि तक या एक वर्ष तक, जो भी अधिक हो, बढ़ाया जा सकेगा। यदि वह कर्मचारी फिर भी उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से सेवोन्मुक्त किये या हटाये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को सेवोन्मुक्त किया या हटाया जाता है या वह उस अधिष्ठायी या निम्नतर पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार हो, पदावनत किये जाने का दायी होगा।**

- (3) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके द्वारा समाधानप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवा अवधि के दौरान संसूचित न किया गया हो।
- (4) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा पुस्तिका और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा।

स्पष्टीकरण : (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित भर्ती से अभिप्रेत है-

- (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भर्ती की किसी भी रीति द्वारा या सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय की गयी नियुक्ति ;
- (ख) उस पद पर नियुक्ति, जिसके लिए कोई सेवा नियम विद्यमान न हो, यदि पद आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो तो आयोग के परामर्श से भर्ती,
- (ग) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जहां सेवा नियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात करते हों ;
- (घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें इन नियमों के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो, नियमित रूप से भर्ती किये हुए समझे जायेंगे:

परन्तु इसमें ऐसी अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति या स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अध्यधीन हो ।

- (ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण किये जाने के पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थायी नियुक्ति के दो वर्ष समाप्त होने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल कोई भी विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्व पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

- 41. परिवीक्षाकाल के दौरान असंतोषप्रद प्रगति.-** यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय यह प्रतीत हो कि किसी परिवीक्षाधीन - प्रशिक्षणार्थी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पायी गयी हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, उस पद पर पदावनत कर सकेगा जिस पर उसका परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप से उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व, नियमित रूप से चयन किया गया हो या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को समुचित अवसर प्रदान करेगा;

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को एक वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

- 42. स्थायीकरण.-** कोई व्यक्ति, जिसे नियम 39 के अधीन परिवीक्षा पर रखा गया है, परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि, -

- (क) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और ऐसा प्रशिक्षण, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो जैसा कि सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे;
- (ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और

- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

भाग - 7

वेतन

43. **वेतनमान.-** सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति का वेतन वह होगा जो नियम 45 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किया जाये।
44. **परिवीक्षा के दौरान वेतन.-** सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षाकाल के दौरान ऐसी दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाये:
- परन्तु सरकारी सेवा में भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी को परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा के दौरान पद के विद्यमान वेतनमान में उसके स्वयं के वेतन में परिलब्धियां या नये पद का नियत पारिश्रमिक, जो भी उसके लिए राजस्थान सेवा नियम, 9151 के नियम 24 के अनुसार लाभप्रद हो, अनुज्ञात किया जा सकेगा।
45. **वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन, अंशदायी पेंशन आदि का विनियमन .-** इन नियमों में यथा-उपबंधित के सिवाय, सेवा के किसी सदस्य का वेतन, भत्ते, अंशदायी पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी :-
- राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर यथा-संशोधित ;
 - राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय-समय पर यथा-संशोधित ;
 - राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय-समय पर यथा - संशोधित;
 - राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित;
 - राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय-समय पर यथा-संशोधित;
 - राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998, समय-समय पर यथा-संशोधित;
 - राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, समय-समय पर यथा-संशोधित;
 - राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापकों के लिए पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2012, 01.01.2006 से प्रभावी, समय-समय पर यथा-संशोधित ;
 - राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017, समय-समय पर यथा-संशोधित;
 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये और तत्समय प्रवृत्त कोई भी अन्य नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों।
46. **शंकाओं का निराकरण.-** यदि इन नियमों के लागू होने और उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

47. **निरसन और व्यावृत्ति.-** राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम, 1977 और इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जारी तथा इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम और आदेश इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं ;

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

48. **नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति .-** अपवाद सापेक्ष मामलों में जहां सरकार के प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कार्मिक विभाग की सहमति तथा आयोग के परामर्श से, जहां आवश्यक हो, आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबंधों से, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी, परन्तु ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पूर्व में अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन विहित सेवा की कालावधि या अनुभव में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा:

परन्तु यह भी कि जहां किसी पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव की विहित कालावधि 6 वर्ष से कम है वहां प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव / सचिव, कार्मिक विभाग और प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासनिक विभाग से गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति उन मामलों पर विचार करेगी जहां 45 प्रतिशत या उससे अधिक पद रिक्त हैं।

समिति अनुभव में शिथिलीकरण की इतनी मात्रा सुझाने के लिए सशक्त होगी जो ऐसे मामलों में पदोन्नति वाले पदों में रिक्तियों की बड़ी संख्या के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए, इस शर्त के अधीन प्रदान की जायेगी कि अनुभव में ऐसा शिथिलीकरण दो वर्ष से अधिक न हो।

अनुसूची-I

क्र. सं.	पद का नाम	प्रतिशत सहित भर्ती की रीति	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद (पदों) जिससे/जिनसे चयन/पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति/चयन के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	निदेशक	100 % चयन द्वारा	-	महाविद्यालय का प्राचार्य/संयुक्त निदेशक	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।	1. जब कभी भी परिस्थिति की यह मांग हो, सरकार कोई आईएएस अधिकारी या उच्चतर सुपरटाइमस्केल के आरएएस अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी। 2. निदेशक अपने स्वयं के वेतनमान में वेतन आहरित करेगा। 3. निदेशक का चयन, संस्कृत महाविद्यालय शिक्षा के प्राचार्य/संयुक्त निदेशक में से, चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।
2.	महाविद्यालय के प्राचार्य / संयुक्त निदेशक	100 % चयन द्वारा	-	1. आचार्य 2. क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ 7 में अभ्युक्ति के अनुसार सह आचार्य के रूप में पुनर्पदाभिहित प्राध्यापक (चयन वेतनमान)/सहायक निदेशक /आचार्य सहित सह आचार्य जो एजीपी में 9000 का वेतन आहरित कर रहे हैं।	क. पात्रता: 1. पीएच.डी. डिग्री। 2. कम से कम 15 वर्ष की कुल सेवा/अनुभव वाले आचार्य/सह आचार्य/सहायक निदेशक। 3. समकक्ष-समीक्षित में न्यूनतम 10 प्रकाशित शोध या यूजीसी के सूचीबद्ध जर्नल। 4. विनियमों के परिशिष्ट-II,	1. प्राचार्य के पद पर चयनित आचार्य, प्राचार्य के पद के लिए विहित विशेष भत्ता और उसके स्वयं के वेतनमान में वेतन आहरित करेगा। 2. संयुक्त निदेशक के रूप में पदस्थापित आचार्य उसके स्वयं के वेतनमान में वेतन आहरित करेगा। 3. प्राचार्य/संयुक्त निदेशक का चयन

					<p>सारणी-2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान स्कोर।</p> <p>ख. सेवावधि:</p> <p>1. महाविद्यालय प्राचार्य 5 वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जायेगा जो, विनियमों के अनुसार गठित, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा, कार्य निर्धारण के आधार पर, अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ायी जा सकेगी।</p> <p>2. पदधारी, प्राचार्य के रूप में अपनी सेवावधि की समाप्ति के पश्चात् अपने मूल संगठन में, आचार्य पदनाम के रूप में और आचार्य की ग्रेड में पुनः पद ग्रहण करेगा।</p>	<p>स्तंभ 5 में उल्लिखित पदों में से चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।</p>
3.	आचार्य	100 % पदोन्नति द्वारा	-	सह आचार्य	सह आचार्य, समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में, यथा अधिकथित अर्हक शर्तों के अधीन रहते हुए, आचार्य के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र होगा।	-
4.	सह आचार्य	100 % पदोन्नति द्वारा	-	सहायक आचार्य (चयन वेतनमान)	सहायक आचार्य (चयन वेतनमान) समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में, यथा	प्राध्यापक (चयन वेतनमान)/सहायक निदेशक/आचार्य, जो एजीपी में 9000 का वेतन आहरित

					अधिकथित अर्हक शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, सह आचार्य के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र होगा।	कर रहे हैं, सह आचार्य के रूप में पुनर्पदाभिहित किये जायेंगे। आचार्य/सहायक निदेशक का विद्यमान पद, वित्त विभाग की अधिसूचना, दिनांक 23-10-2012 के संबंध में, मृत संवर्ग होगा।
5	सहायक आचार्य (चयन वेतनमान)	100 % पदोन्नति द्वारा	-	सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान)	समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में यथा अधिकथित।	प्राध्यापक (चयन वेतनमान), सहायक आचार्य (चयन वेतनमान) के रूप में पुनर्पदाभिहित किया जायेगा।
6	सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान)	100 % पदोन्नति द्वारा	-	सहायक आचार्य	समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में यथा अधिकथित।	प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान), सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान) के रूप में पुनर्पदाभिहित किया जायेगा।
7	सहायक आचार्य	100 % सीधी भती द्वारा	संस्कृत विषय के लिए 1. किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित /सुसंगत/सहबद्ध विषय में 55% अंकों (या जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी गयी है वहां पॉइंट स्केल में कोई समतुल्य ग्रेड) के साथ आचार्य डिग्री या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री।	-	-	1. प्राध्यापक सहायक आचार्य के रूप में पुनर्पदाभिहित किया जायेगा। 2. संस्कृत विषय और संस्कृत से भिन्न विषयों हेतु सीधी भती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव, समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में यथा अधिकथित उपबंधों के अध्यक्षीन हैं।

		<p>2.उपरोक्त अहंताओं को पूर्ण करने के अतिरिक्त, अभ्यर्थी को यू.जी.सी. द्वारा संचालित संबंधित विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे स्लेट /सेट उत्तीर्ण होना चाहिए।</p> <p>3. जिन अभ्यर्थियों को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच. डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और, यथास्थिति, उनके समय-समय पर किये गये संशोधन के अनुसार पीएच.डी.डिग्री दी जा रही है या दी जा चुकी है, उन्हें सहायक आचार्य की भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से छूट दी जायेगी: परन्तु 11 जुलाई, 2009 से</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>पूर्व पीएच.डी. डिग्री के लिए रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी, डिग्री प्रदान करने वाले तत्समय विद्यमान अध्यादेशों/उप-विधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और ऐसे पीएच.डी. अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य की भर्ती और नियुक्ति या विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में समतुल्य स्थितियों के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण करने के अध्यक्षीन रहते हुए छूट दी जायेगी:-</p> <p>(क) अभ्यर्थी को पीएच.डी. की डिग्री नियमित रीति में प्रदान की गई हो;</p> <p>(ख) पीएच.डी. थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जायेगा;</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>(ग) अभ्यर्थी की ओपन पीएच.डी. मौखिक परीक्षा संचालित की गई हो;</p> <p>(घ) अभ्यर्थी ने उसके पीएच.डी. कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये हों जिसमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में हो;</p> <p>(ङ) अभ्यर्थी ने यूजीसी/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर या किसी समान एजेंसी द्वारा समर्थित सम्मेलनों/प्रायोजित/पोषित सेमीनारों/में अपने पीएच.डी. कार्य के आधार पर कम से कम दो पेपर प्रस्तुत किये हों।</p> <p>टिप्पणः</p> <p>(i) इन शर्तों की पूर्ति संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन (शैक्षणिक मामले) द्वारा प्रमाणित की जानी है।</p> <p>(ii) ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अभ्यर्थियों के लिए नेट/स्लेट/सेट भी</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>अपेक्षित नहीं होगा जिनके लिए, यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा नेट/स्लेट/सेट या यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे स्लेट/सेट संचालित नहीं की जाती है।</p> <p>या निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग (किसी भी समय) में उच्चतम 500 में से कोई रैंकिंग अर्जित करने के साथ किसी विदेशी विश्वविद्यालय/ संस्थान से पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की गयी है:-</p> <p>(i) क्वाकवेरेली साइमंड्स (क्यूएस)</p> <p>(ii) टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) या</p> <p>(iii) शंघाई जिआओ टॉग विश्वविद्यालय (शंघाई) की विश्व विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग (एआरडबल्यूयू)।</p> <p>टिप्पणः विश्वविद्यालयों</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>के लिए परिशिष्ठ II (सारणी 3 क) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक स्कोर और महाविद्यालयों के लिए परिशिष्ठ II (सारणी 3 ख) पर केवल साक्षात्कार के लिए शोर्टलिस्ट करने के लिए विचार किया जायेगा और चयन केवल साक्षात्कार के प्रदर्शन पर आधारित होगा।</p> <p>संस्कृत से भिन्न विषयों के लिए</p> <p>1. किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित /सुसंगत/सहबद्ध विषय में 55% अंको (या जहां कहीं ग्रैडिंग प्रणाली अपनायी गयी है वहां पॉइंट स्केल में कोई समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री।</p> <p>2.उपरोक्त अर्हताओं को</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>पूर्ण करने के अतिरिक्त, अभ्यर्थी को संबंधित विषय में यू.जी.सी. द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे स्लेट/सेट उत्तीर्ण होना चाहिए।</p> <p>3. जिन अभ्यर्थियों को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और, यथास्थिति, उनके समय-समय पर किये गये संशोधन के अनुसार पीएच.डी.डिग्री दी जा रही है या दी जा चुकी है, उन्हें सहायक आचार्य की भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से छूट दी जायेगी:</p> <p>परन्तु 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएच.डी. डिग्री के लिए</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी, डिग्री प्रदान करने वाले तत्समय विद्यमान अध्यादेशों/उप-विधियों / विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और ऐसे पीएच.डी. अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य की भर्ती और नियुक्ति या विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/संस्थाओं में समतुल्य स्थितियों के लिए नेट/ स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण करने के अध्यक्षीन रहते हुए छूट दी जायेगी:-</p> <p>(क) अभ्यर्थी को पीएच.डी. की डिग्री नियमित रीति में प्रदान की गई हो;</p> <p>(ख) पीएच.डी. थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जायेगा;</p> <p>(ग) अभ्यर्थी की ओपन</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>पीएच.डी. मौखिक परीक्षा संचालित की गई हो; (घ) अभ्यर्थी ने उसके पीएच.डी. कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये हैं जिसमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में हो। (ङ) अभ्यर्थी ने यूजीसी/ आईसीएसएसआ र/सीएसआईआर या किसी समान एजेंसी द्वारा समर्थित सम्मेलनों/प्रायो जित/पोषित सेमिनारों/ में अपने पीएच.डी. कार्य के आधार पर कम से कम दो पेपर प्रस्तुत किये हैं। टिप्पण: (i) इन शर्तों की पूर्ति संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन (शैक्षणिक मामले) द्वारा प्रमाणित की जानी है। (ii) ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अभ्यर्थियों के लिए नेट/स्लेट/सेट भी अपेक्षित नहीं होगा जिनके लिए, यूजीसी,</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>सीएसआईआर द्वारा नेट/स्लेट/सेट या यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे स्लेट/सेट संचालित नहीं की जाती है।</p> <p>या निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग (किसी भी समय) में उच्चतम 500 में से कोई रैंकिंग अर्जित करने के साथ किसी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान से पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की गयी है:-</p> <p>(i) क्वाकवेरेली साइमंड्स (क्यूएस) (ii) टाइम्स हायर एज्यूकेशन (टीएचई) या (iii) शंघाई जिआओ टॉग विश्वविद्यालय (शंघाई) की विश्व विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग (एआरडब्ल्यू)।</p> <p>टिप्पणः विश्वविद्यालयों के लिए परिशिष्ठ II (सारणी 3 क)</p>		
--	--	--	---	--	--

			में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक स्कोर और महाविद्यालयों के लिए परिशिष्ट II (सारणी 3 ख) पर केवल साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए विचार किया जायेगा और चयन केवल साक्षात्कार के प्रदर्शन पर आधारित होगा।			
8	पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन वेतनमान)	100 % पदोन्नति द्वारा	-	पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन वेतनमान)	समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में यथा अधिकथित।	-
9	पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन वेतनमान)	100 % पदोन्नति द्वारा	-	पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)	समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में यथा अधिकथित।	-
10	पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)	100 % पदोन्नति द्वारा	-	पुस्तकालयाध्यक्ष	समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में यथा अधिकथित।	-
11	पुस्तकालयाध्यक्ष	100 % सीधी भर्ती द्वारा	1. कम से कम 55% अंकों (या जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी गयी है वहां पॉइंट स्केल में कोई समतुल्य ग्रेड) के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या कोई समतुल्य	-	-	-

			<p>व्यावसायिक डिग्री ।</p> <p>2. अनवरत अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ पुस्तकालय के कंप्यूटरीकरण का ज्ञान।</p> <p>3. उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण करने के अतिरिक्त, अभ्यर्थी ने संबंधित विषय में वि.अ.आ. द्वारा या वि.अ.आ द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा इस प्रयोजन के लिए संचालित राष्ट्रीय स्तर परीक्षा (नेट) अर्हित की हुई हो या जिन अभ्यर्थियों को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच. डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और, यथास्थिति, उनके समय-समय पर किये गये संशोधन के अनुसार एम.फिल/पीएच. डी. डिग्री दी जा रही है या दी जा चुकी है:</p> <p>परन्तु</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>11जुलाई, 2009 से पूर्व पीएच.डी. डिग्री के लिए रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी, डिग्री प्रदान करने वाले तत्समय विद्यमान अध्यादेशों/उप-विधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और ऐसे पीएच.डी. अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य की भर्ती और नियुक्ति या विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में समतुल्य स्थितियों के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण करने के अध्यक्षीन रहते हुए छूट दी जायेगी:-</p> <p>(क) अभ्यर्थी को पीएच.डी. की डिग्री नियमित रीति में प्रदान की गई हो;</p> <p>(ख) पीएच.डी. थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>किया जायेगा;</p> <p>(ग) अभ्यर्थी की ओपन पीएच.डी. मौखिक परीक्षा संचालित की गई हो;</p> <p>(घ) अभ्यर्थी ने उसके पीएच.डी. कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये हों जिसमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में हो;</p> <p>(ड) अभ्यर्थी ने यूजीसी/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर या किसी समान एजेंसी द्वारा समर्थित सम्मेलनों/प्रायोजित /पोषित सेमिनारों/ में अपने पीएच.डी. कार्य के आधार पर कम से कम दो पेपर प्रस्तुत किये हों;</p> <p>टिप्पणः</p> <p>(i) इन शर्तों की पूर्ति संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन (शैक्षणिक मामले) द्वारा प्रमाणित की जानी है।</p> <p>(ii) ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अभ्यर्थियों के लिए नेट/स्लेट/सेट भी</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			अपेक्षित नहीं होगा जिनके लिए, यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा नेट/स्लेट/सेट या यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे स्लेट/सेट संचालित नहीं की जाती है।			
12	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (पीटीआई) (चयन वेतनमान)	100 % पदोन्नति द्वारा	-	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (पीटीआई) (चयन वेतनमान)	समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में यथा अधिकथित।	-
13	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (पीटीआई) (चयन वेतनमान)	100 % पदोन्नति द्वारा	-	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (पीटीआई) (वरिष्ठ वेतनमान)	समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में यथा अधिकथित।	-
14	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (पीटीआई) (वरिष्ठ वेतनमान)	100 % पदोन्नति द्वारा	-	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (पीटीआई)	समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में यथा अधिकथित।	-
15	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (पीटीआई)	100 % सीधी भर्ती द्वारा	(i) कम से कम 55% अंकों (या जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी गयी है वहां पॉइंट स्केल में कोई समतुल्य ग्रेड) के साथ शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स या शारीरिक शिक्षा या स्पोर्ट्स विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) अन्तर-			-

			<p>विश्वविद्यालय/ अन्तर- महाविद्यालय प्रतियोगिताओं अथवा राज्य और/या राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का रिकॉर्ड।</p> <p>(iii) उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण करने के अतिरिक्त, अभ्यर्थी ने संबंधित विषय में वि.अ.आ द्वारा या वि.अ.आ द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा इस प्रयोजन के लिए संचालित राष्ट्रीय स्तर परीक्षा (नेट) अर्हित की हुई हो या जिन अभ्यर्थियों को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच. डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और, यथास्थिति, उनके समय- समय पर किये गये संशोधन के अनुसार</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>एम.फिल/पीएच.डी. डिग्री दी जा रही है या दी जा चुकी है:</p> <p>परन्तु 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएच.डी. डिग्री के लिए रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी, डिग्री प्रदान करने वाले तत्समय विद्यमान अध्यादेशों/उप-विधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और ऐसे पीएच.डी. अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य की भर्ती और नियुक्ति या विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में समतुल्य स्थितियों के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण करने के अध्यक्षीन रहते हुए छूट दी जायेगी:-</p> <p>(क) अभ्यर्थी को पीएच.डी. की डिग्री नियमित रीति में प्रदान की गई हो;</p> <p>(ख)</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>पीएच.डी. थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जायेगा;</p> <p>(ग) अभ्यर्थी की ओपन पीएच.डी. मौखिक परीक्षा संचालित की गई हो;</p> <p>(घ) अभ्यर्थी ने उसके पीएच.डी. कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये हों जिसमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में हो;</p> <p>(ङ) अभ्यर्थी ने यूजीसी/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर या किसी समान एजेंसी द्वारा समर्थित सम्मेलनों/प्रायोजित /पोषित सेमिनारों/ में अपने पीएच.डी. कार्य के आधार पर कम से कम दो पेपर प्रस्तुत किये हो।</p> <p>टिप्पण: इन शर्तों (क) से (ङ) की पूर्ति संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन (शैक्षणिक मामले) द्वारा प्रमाणित की जायेगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>(iv) ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अभ्यर्थियों के लिए नेट/स्लेट/सेट भी अपेक्षित नहीं होगा जिन शाखाओं के लिए यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा नेट/स्लेट/सेट या यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे स्लेट/सेट संचालित नहीं की जाती है।</p> <p>(v) इन विनियमों के अनुसार संचालित शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण उत्तीर्ण किया हुआ हो। या</p> <p>ख. कोई एशियन खेल या कॉमनवेल्थ खेलों का मेडल विजेता जिसके पास कम से कम स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री हो।</p>			
--	--	--	---	--	--	--

अनुसूची- II
(देखे नियम 25)

सहायक आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद के लिए परीक्षा की स्कीम
और पाठ्य विवरण

1. प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे:-

(i) लिखित परीक्षा और

(ii) साक्षात्कार।

क. लिखित परीक्षा:

लिखित परीक्षा में निम्न लिखित प्रश्न पत्र अंतर्विष्ट होंगे जिन्हें उनके सामने दर्शाये गये अंक और समय अनुज्ञात किये जायेंगे:-

प्रश्न पत्र	विषय	अंक	समय
I	पद से संबंधित विषय	75	3 घण्टे
II	पद से संबंधित विषय	75	3 घण्टे
III	राजस्थान का सामान्य अध्ययन	50	2 घण्टे
	कुल अंक	200	

ख. साक्षात्कार:

(i) साक्षात्कार 24 अंकों का होगा।

(ii) रिक्तियों की कुल संख्या के तीन गुना की सीमा तक (प्रवर्गवार), जो अभ्यर्थी ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक जो आयोग द्वारा नियत किये जायें, लिखित परीक्षा में अर्हित करेंगे उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

2. पाठ्य विवरण:

पाठ्य विवरण ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से जो आयोग ठीक समझे सूचित किया जायेगा।

[सं. एफ.1 (1) डीओपी/(ए-II)/2022]

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

रामनिवास मेहता,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL**A Group-II****NOTIFICATION****Jaipur, September 29, 2022**

G.S.R.82 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules regulating recruitment to posts in, and the conditions of service of persons appointed to the Rajasthan Sanskrit Education (Collegiate Branch) Service, namely:-

Part-I**General**

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Rajasthan Sanskrit Education (Collegiate Branch) Service Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules unless the context otherwise requires,-

- (a) "Appointing Authority" means the Government or any other officer to whom powers in this behalf may be delegated by the Government;
- (b) "College" means Shastri or Acharya Colleges;
- (c) "Commission" means the Rajasthan Public Service Commission;
- (d) "Committee" means a Committee constituted under rule 29 and 30, as the case may be;
- (e) "Director" means the Director of Sanskrit Education, Rajasthan;
- (f) "Direct Recruitment" means recruitment made in accordance with the procedure prescribed in Part-IV of these rules;
- (g) "Government" means the Government of Rajasthan;
- (h) "Member of the Service" means a person appointed to a post in the service on the basis of regular selection under the provisions of these rules or rules or orders repealed by these rules;
- (i) "Regulations" means the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, as amended from time to time and as adopted by the State Government.
- (j) "Schedule" means the Schedules appended to these rules;
- (k) "Service" means the Rajasthan Sanskrit Education (Collegiate Branch) Service;
- (l) "Substantive Appointment" means an appointment made under the provisions of these rules to a substantive vacancy after due selection by any of the methods of recruitment prescribed under these rules and includes an appointment on probation or as a probationer followed by confirmation on the completion of the probation period.

Note: Due selection by any methods of recruitment prescribed under these rules will include recruitment either on initial constitution of Service or in accordance with the provisions of any rules promulgated under proviso to

Article 309 of the Constitution of India, except urgent temporary appointment ; and

- (m) "Service" or "Experience" wherever prescribed in these rules as a condition for promotion from one service to another or within the service from one category to another or to senior posts in the case of persons holding a lower post eligible for promotion to a higher post shall include the period for which the person has continuously worked on such lower post(s) after regular selection in accordance with the provisions of the rules promulgated under the proviso to Article 309 of the Constitution of India ;

Note: Absence during service e.g. training, leave and deputation etc., which are treated as "duty" under the Rajasthan Service Rules, 1951 shall also be counted as service for computing experience or service required for promotion;

- (n) "State" means the State of Rajasthan;
(o) "Year" means financial year ; and

3. Interpretation.— Unless the context otherwise requires, the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. VIII of 1955) shall apply for the interpretation of these rules as it applies for the interpretation of Rajasthan Act.

Part-II Cadre

4. Composition and strength of the service.— (1) The service shall consist of administrative and teaching posts as specified in column 2 of Schedule-I.

(2) The nature of the posts included in each category of the service shall be as specified in column 2 of the Schedule-I.

(3) The strength of the posts in each category of the service shall be such as may be determined by the Government, from time to time:

Provided that the Government may,-

- (a) create any post(s) permanent or temporary from time to time as may be found necessary and may abolish any such post(s) in the like manner without thereby entitling any person to any compensation; and
(b) leave unfilled or hold in abeyance or abolish any post permanent or temporary from time to time without thereby entitling any person to any compensation; and

5. Constitution of the service.— The service shall consist of,-

- (a) all persons holding substantively posts specified in the Schedule-I on the date of commencement of these rules;
(b) all persons recruited to post(s) included in the service before the commencement of these rules; and
(c) all persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules, except on urgent temporary appointment under rule 37.

PART-III
Recruitment

6. Methods of Recruitment.— (1) Recruitment to posts in the Service after the commencement of these rules shall be made by the following methods in the proportion as indicated in column 3 of the Schedule-I, namely:—

- (a) by direct recruitment in accordance with procedure laid down in Part-IV of these rules; and
- (b) by selection or promotion in accordance with the procedure laid down in Part-V of these rules.

(2) Recruitment to the service by the aforesaid methods shall be made in such a manner that the persons appointed to the service by each method do not at any time exceed the percentage laid down in the rules/schedule of the total cadre strength as sanctioned for each category, from time to time:

Provided that if the Appointing Authority in consultation with the Commission is satisfied that suitable persons are not available for appointment by either method of recruitment in a particular year, appointment by the other method in relaxation of the prescribed proportion, may be made in the same manner as specified in these rules.

(3) Notwithstanding anything contained in these rules to recruitment, appointment, promotion, seniority and confirmation etc. of a person who joins the Army/Air Force/Navy during an Emergency shall be regulated by such orders and instructions as may be issued by the Government, from time to time, provided that these are regulated *mutatis mutandis* according to the instructions issued on the subject by the Government of India.

7. Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.— (1) Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be in accordance with the provision of law in force at the time of recruitment i.e. by direct recruitment and by promotion.

(2) The vacancies so reserved for promotion shall be filled in by seniority-cum-merit and merit.

(3) In filling the vacancies so reserved the eligible candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list prepared for direct recruitment by the Commission, and, in the case of promotees, by the Departmental Promotion Committee, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) Appointment shall be made strictly in accordance with the rosters prescribed separately for direct recruitment and promotion.

(5) In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates amongst the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, for direct recruitment in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forward to the subsequent three recruitment years. After the expiry of three recruitment years, such carried forward vacancies shall be filled in accordance with the normal procedure:

Provided that,—

- (i) if recruitment is not held in any recruitment year, such recruitment year shall not be counted for the purpose of this sub-rule.
 - (ii) filling up of the vacancies in accordance with the normal procedure under this sub-rule shall not affect the reservation of posts as per the post based roster and vacancies on the reserved posts available in the roster may be filled in from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, for which such vacancy is available in subsequent years.
- (6) In the event of non availability of the eligible and suitable candidates for promotion amongst the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forward until the suitable Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidate(s), as the case may be, are available. In any circumstances no vacancy reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates shall be filled by promotion from General Category candidates. In exceptional cases where in the public interest the Appointing Authority feels that it is necessary to fill up the vacant reserved post(s) by promotion from the General category candidates on urgent temporary basis, the Appointing Authority may make a reference to the Department of Personnel and after obtaining prior approval of the Department of Personnel, they may fill up such post(s) by promoting the General category candidate(s) on urgent temporary basis clearly stating in the promotion order that the General Category candidate(s) who are being promoted on urgent temporary basis against the vacant post reserved for Scheduled Castes or Scheduled Tribes candidates, as the case may be, shall have to vacate the post as and when the candidate(s) of that category become(s) available:

Provided that there shall be no carry forward of the vacancies in posts or class/category/group of posts in any cadre of Service to which promotions are made on the basis of merit alone under these rules.

8. Reservation of vacancies for Backward Classes and More Backward Classes.— Reservation of vacancies for Backward Classes and More Backward Classes shall be in accordance with the provisions of law in force at the time of direct recruitment. In the event of non-availability of eligible and suitable candidate amongst Backward Classes and More Backward Classes in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure.

9. Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections.— Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections shall be 10% in direct recruitment in addition to the existing reservation. In the event of non-availability of eligible and suitable candidate amongst Economically Weaker Sections in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure.

Explanation: For the purpose of this rule 'Economically Weaker Sections' shall be the persons who are bonafide resident of Rajasthan and not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes, the More Backward Classes and whose family has gross annual income below rupees 8.00 lakh. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and

siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application.

10. Reservation of vacancies for women.— Reservation of vacancies for women candidates shall be 30% category-wise in the direct recruitment, out of which one third shall be for widows and divorced women candidates in the ratio of 80:20. In the event of non-availability of eligible and suitable candidates, either in widow or in divorcee, in a particular year, the vacancies may first be filled by interchange, i.e. vacancies reserved for widows to the divorcees or vice versa. In the event of non-availability of sufficient widow and divorcee candidates, the unfilled vacancies, shall be filled by other women of the same category and in the event of non-availability of eligible and suitable women candidates, the vacancies so reserved for them shall be filled by male candidates of the category for which vacancy is reserved. The vacancy so reserved for women candidates shall not be carried forward to the subsequent year. The reservation for women including widows and divorcee women shall be treated as horizontal reservation, within the category, i.e. even the women selected in general merit of the category shall first be adjusted against the women quota.

Explanation: In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee she will have to furnish the proof of divorce.

11. Nationality.— A candidate for appointment to the service must be,-

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Nepal, or
- (c) a subject of Bhutan, or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri-Lanka and East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government in the Department of Home Affairs and Justice after proper verification.

12. Conditions of eligibility of persons migrated from other countries to India.— Notwithstanding anything contained in these rules provisions regarding eligibility for recruitment to the service with regard to nationality, age limit and fee or other concessions to a person, who may migrate from other countries to India with the intention of permanently settling in India, shall be regulated by such orders or instructions as may be issued by the State Government, from time to time and the same shall be regulated *mutatis mutandis* according to the instructions issued on the subject by the Government of India.

13. Determination of vacancies.— (1) Subject to the provisions of these rules, the Appointing Authority shall determine on 1st April every year, the actual number of vacancies occurring during the financial year.

(2) Where a post is to be filled in by a single method as prescribed in the rule or Schedule, the vacancies so determined shall be filled in by that method.

(3) Where a post is to be filled in by more than one method as prescribed in the rule or Schedule, the apportionment of vacancies, determined under sub-rule (1) above, to each such method shall be done maintaining the prescribed proportion for the over-all number of posts already filled in. If any fraction of vacancies is left over after apportionment of the vacancies in the manner prescribed above, the same shall be apportioned to the quota of various methods prescribed in a continuous cyclic order giving precedence to the promotion quota.

(4) The Appointing Authority shall also determine the vacancies of earlier year(s), year-wise, which were required to be filled in by promotion, if such vacancies were not determined and filled earlier in the year in which they were required to be filled in.

14. Age.— (1) A candidate for direct recruitment to a post enumerated in the Schedule-I must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 40 years on the first day of January next following the last date fixed for receipt of applications:

Provided that,-

(i) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by,-

(a) 5 years in the case of male candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and More Backward Classes and Economically Weaker Sections;

(b) 5 years in the case of woman candidate belonging to General Category; and

(c) 10 years in the case of woman candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes and More Backward Classes and Economically Weaker Sections;

(ii) the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of ex-prisoner who had served under Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under these rules;

(iii) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of ex-prisoner who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under these rules;

(iv) the persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age limit, had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed upto two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment;

(v) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the National Cadet Corps in the case of Cadet instructors and if the

resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit;

- (vi) the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the commission in the Army;
- (vii) the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the Public Sector Undertaking Corporation in substantive capacity shall be 40 years;
- (viii) there shall be no age limit in the case of widows and divorced women;

Explanation: In case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of a divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.

- (ix) if a candidate would have been entitled in respect of his/her age for direct recruitment in any year in which no such recruitment was held, he/she shall be deemed to be eligible in the next following recruitment, if he/she is not overage by more than 3 years.

15. Academic and Technical qualification and experience.— A candidate for direct recruitment to the posts enumerated in the Schedule-I shall possess,—

- (i) the qualifications and experience as prescribed in column 4 of the Schedule, and
- (ii) working knowledge of Hindi written in Devnagri scripts and knowledge of Rajasthani culture:

Provided that the person who has appeared or is appearing in the final year examination of the course which is the requisite educational qualification for the post as mentioned in these rules or Schedule for direct recruitment shall be eligible to apply for the post but he/she shall have to submit proof of having acquired the requisite educational qualification to the appropriate selection agency,—

- (i) before appearing in the main examination, where selection is made through two stages of written examination and interview;
- (ii) before appearing in interview where selection is made through written examination and interview;
- (iii) before appearing in the written examination or interview where selection is made through only written examination or only interview, as the case may be.

16. Character.— The character of a candidate for direct recruitment to the service must be such as to qualify him for employment in the service. He must produce a certificate of good character from the Principal/Academic Officer of the University or College or School in which he was last educated and two such certificates written not more than six months prior to the date of application from two responsible persons not connected with his School or College or University and not related to him.

- Note:** (1) A conviction by a Court of Law need not itself involve the refusal of a certificate of good character. The circumstances of the conviction should be taken into account and if they involve no moral turpitude or association with crimes or violence or with a movement which has as its object to overthrow by violent means of the Government as by law established, the mere conviction need not be regarded as a disqualification.
- (2) Ex-Prisoners, who by their disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct have proved to be completely reformed, should not be discriminated against on grounds of their previous conviction for the purpose of employment in the Service. Those, who are convicted of offence not involving moral turpitude or violence shall be deemed to have been completely reformed on the production of a report to that effect from the Superintendent, After Care Home or if there are no such Homes in a particular district, from the Superintendent of Police of that district.
- (3) Those convicted of offences involving moral turpitude or violence shall be required to produce a certificate from the Superintendent, After Care Home, or if there is no such home in a particular district, from the Superintendent of Police of that district, endorsed by the Inspector General of Prisons, to the effect that they are suitable for employment as they have proved to be completely reformed by their disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct in an After Care Home.

17. Physical Fitness.— A candidate for direct recruitment to the service, must be in good mental or bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties as a member of service and if selected must produce a certificate to that effect from a Medical Authority notified by the Government for the purpose. The Appointing Authority may dispense with production of such certificate in the case of candidate who is already serving in connection with the affairs of the State if he has already been medically examined for the previous appointment and the essential standard of Medical Examination of the two posts held by him are to be comparable for efficient performance of duties of the new post and his age has not reduced his efficiency for the purpose.

18. Employment of irregular or improper means.— A candidate, who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false, or of suppressing material information, or of using or attempting to use unfair means in the examination or interview or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or appearance at any interview, shall, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be debarred either permanently or for a specified period,-

- (a) by the Commission from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates, and
- (b) by the Government from employment under the Government.

19. Canvassing.— No recommendation for direct recruitment either written or oral, other than that required under these rules, shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature by any means, may disqualify him for recruitment.

PART-IV

Procedure for direct recruitment

20. Frequency of direct recruitment.— Direct recruitment to the posts specified in the Schedule-I shall be held at least once a year unless the Government decides direct recruitment for any of these posts shall not be held in any particular year.

21. Inviting of applications.— Applications for direct recruitment to posts in the service shall be invited by the Commission, by advertising the vacancies to be filled, in the Official Gazette or in such manner, as may be deemed fit by them. The advertisement shall contain a clause that a candidate who accepts the assignment of the post being offered to him/her shall be paid monthly fixed remuneration at the rate fixed by the Government, from time to time, during the period of probation and the Pay in the level of Pay Matrix of the post as shown else-where in the advertisement shall be allowed only from the date of successful completion of the period of probation mentioned in these rules:

Provided that while selecting candidates for the vacancies so advertised, the Commission may, if intimation of additional requirement not exceeding 50% of the advertised vacancies, is received by them before selection, also select suitable persons to meet such additional requirement.

22. Form of Application.— The application shall be made in the form approved by the Commission and obtainable from the office of the Commission on payment of such fee as may be fixed by the Commission, from time to time.

23. Application fee.— A candidate for direct recruitment to a post in the service shall pay to the Commission such fees as are fixed by them, from time to time, in such manner as may be indicated by them.

24. Scrutiny of applications.— The Commission shall scrutinize the applications received by them. The applications which are found to be incomplete and have not been filled up in accordance with the instructions issued by the Commission shall be rejected at initial stage. The Commission shall permit provisionally the rest of candidates to appear in the examination. No candidate shall be admitted to the examination unless he/she holds a certificate of permission to the examination granted by the Commission. Before appearing in the examination, the candidate should ensure his/her eligibility in respect of age and educational qualifications and experience etc. as provided in these rules. Being allowed to take examination shall not entitle the candidate to presumption of eligibility. The

Commission shall scrutinize later on the applications of such candidates only as they found suitable for appointment before preparing the list under rule 26:

Provided that the decision of the Commission regarding eligibility or otherwise of a candidate shall be final.

25. Scheme and Syllabus of Examination.- (1) The written examination and interview for direct recruitment to the post in the service shall be conducted by the Commission as per the Scheme specified in Schedule-II.

(2) The Commission shall not recommend any candidate who has failed to obtain a minimum of 40% marks in each paper and 36% marks in aggregate of written examination .

26. Recommendations of the Commission.- The Commission shall prepare a list of candidates whom they consider suitable for appointment to the post concerned, arranged in the order of merit on the basis of aggregate marks obtained in the examination and interview and forward the same to the Appointing Authority:

Provided that the Commission may, to the extent of 50% of the advertised vacancies, keep names of suitable candidates on the reserve list and the names of such candidates may, on the requisition, be recommended in the order of merit, to the Government within six months from the date on which the original list is forwarded by the Commission to the Government.

27. Disqualification for appointment.- (1) No male candidate, who has more than one wife living, shall be eligible for appointment to the service unless Government after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any candidate from the operation of this rule.

(2) No female candidate, who is married to a person having already a wife living, shall be eligible for appointment to the service unless the Government after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.

(3) No married candidate shall be eligible for appointment to the service if he/she had at the time of his/her marriage accepted any dowry.

Explanation: For the purpose of this rule, "Dowry" has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (Central Act No. 28 of 1961).

(4) No candidate shall be eligible for appointment to the service who has more than two children on or after 1-6-2002:

Provided that,-

(i) the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he/she has on 1st June, 2002, does not increase.

(ii) where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

(iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

- (iv) any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

28. Selection by the Appointing Authority.— Subject to the provisions of rule 7, 8, 9 and 10 the Appointing Authority shall select candidates in the order of merit in the list prepared under rule 26:

Provided that the inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that such candidate is suitable in all other respects for appointment to the post concerned.

29. Screening-cum-Evaluation Committee.— (1) For CAS promotion of Assistant Professor/equivalent cadres in Librarians/ Physical Training Instructors from one level to the other higher level shall consist of,-

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Chairman of the Commission or a member there of nominated by him | Chairman |
| 2. | Additional Chief Secretary /Principal Secretary /Secretary to the Government in the Department of Sanskrit Education | Member |
| 3. | Principal Secretary/Secretary to the Government in the Department of Personnel or his nominee not below the rank of Deputy Secretary to the Government | Member |
| 4. | Two subject experts (to be nominated by Sanskrit Education Department) | Member |
| 5. | An academican belonging to the SC/ST/BC/MBC Minority/Women/Differently-abled categories (to be nominated by the State Government in Sanskrit Education Department) | Member |
| 6. | Commissioner/Director of Sanskrit Education, Rajasthan | Member Secretary |

(2) The Chairman or the member of the Commission shall preside over the meeting of the Committee:

Provided that in case any Member or Member Secretary, as the case may be, constituting the Committee has not been appointed to the post concerned, the officer holding charge of the post for the time being shall be the Member or Member Secretary, as the case may be, of the Committee.

(3) The Screening-cum- Evaluation Committee on verification/evaluation of grades secured by the candidate through the Assessment Criteria and Methodology Proforma based on these regulations and as per the minimum requirement specified :

(a) In Appendix-II, Table 1 for each of the cadre of Assistant Professor;

(b) In Appendix-II, Table 4 for each of the cadre of Librarian; and

- (c) In Appendix-II, Table 5 for each of the cadre of Physical Training Instructor shall recommend to the Government about the suitability for the promotion of the candidate(s) under CAS for implementation.
- (4) The selection process shall be completed on the day/last day of the selection committee meeting, wherein the minutes are recorded and recommendation made on the basis of the performance of the interview are duly signed by all members of the selection committee.
- (5) The annual self-appraisal report in the prescribed format based on Appendix-II as specified in the Regulations, as amended from time to time, shall be required for the assessment process.
- (6) The Annual Performance Appraisal Report and norms as prescribed by the Department of Personnel regarding promotions, as amended from time to time, shall also be applicable for assessment by the Committee.

PART-V

Eligibility and procedure for selection and Promotion

- 30. (1) Eligibility.-** (i) The post of Director / Principal of Colleges/Joint Director shall be filled in by selection as prescribed in Schedule-I subject to their possessing minimum qualifications and experience as mentioned in column 6.
- (ii) The Academic Performance Indicator (API) based on Performance Based Appraisal System (PBAS) and Assessment Criteria and Methodology as indicated in Appendix-II as specified in the Regulations, as amended from time to time, shall apply.
- (iii) The annual self-appraisal report in the prescribed format based on Appendix-II as specified in the Regulations, as amended from time to time shall be required for the assessment process.
- (iv) The Annual Performance Appraisal Reports shall also be applicable for assessment.
- (v) No person shall be considered for Selection/Promotion unless he/she is regularly selected under these rules.

(2) **Procedure for Selection.-** Subject to the provisions of these rules, the Appointing Authority shall determine the actual number of vacancies as on 1st April every year of Director / Principal of Colleges / Joint Director occurring during the year to fill the same by eligible candidates. Guidelines for selection procedure shall be issued subsequently by the Government with concurrence of Commission.

(3) **Selection/Promotion.-** (i) Constitution of committee:-

- | | |
|---|----------|
| 1. Chairman of the Commission or a member thereof nominated by him | Chairman |
| 2. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary to the Government in the Department of Sanskrit Education | Member |
| 3. Principal Secretary / Secretary to the Government in the | Member |

- Department of Personnel or his nominee not below the rank of Deputy Secretary to the Government.
- | | | |
|----|--|------------------|
| 4. | Two subject experts (to be nominated by Sanskrit Education Department) | Member |
| 5. | An academician belonging to the SC/ST/BC/MBC/Minority/Women/Differently-abled categories (to be nominated by the State Government in Sanskrit Education Department), if required as per the provisions of clause (iii) | Member |
| 6. | Commissioner/Director of Sanskrit Education, Rajasthan | Member Secretary |

(ii) The Chairman or the Member of the Commission shall preside over the meeting of the Committee:

Provided that in case any Member or Member Secretary, as the case may be, constituting the Committee has not been appointed to the post concerned, the officer holding charge of the post for the time being shall be the Member or Member Secretary, as the case may be, of the Committee.

(iii) An academician representing SC/ST/OBC/Minority/Woman/Differently-abled categories, if any of candidate belonging any of these categories is the applicant, to be nominated by the Government, if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.

(iv) The names of candidate selected on the basis of merit by the Committee shall be arranged in order of seniority and shall be forwarded to the Government for their selection to the Post of Director, Principal of College/ Joint Director.

31. Eligibility and Procedure for Promotion to the Post of Professor.- (1) Eligibility and Procedure.-

- (i) Post of Professor shall be filled by promotion as prescribed in Schedule-I subject to their possessing minimum qualification and experience as per Regulations, as mentioned in column 6 on the 1st April of the year of selection.
- (ii) The Academic Performance Indicator (API) based on Performance Based Appraisal System (PBAS) and Assessment Criteria and Methodology as indicated in Appendix-II as specified in the Regulations, as amended from time to time, shall apply.
- (iii) The annual self-appraisal report in the prescribed format based on Appendix-II as specified in the Regulations, as amended from time to time, shall be required for the assessment process.
- (iv) The Annual Performance Appraisal Report and norms as prescribed by the Department of Personnel regarding promotions, as amended from time to time, shall also be applicable for assessment by the Committee.
- (v) The post of Professor shall be filled 100% by promotion from the post of Associate Professor.

- (vi) Promotion to the post of Professor shall strictly be made on the condition of subject-wise availability of post.

(2) Except as otherwise expressly provided in this rule, the promotion to the post of Professor shall be made by the Committee specified in clause (i) sub-rule (3) of rule 30.

32. Procedure for promotion to the post of Associate Professor, Assistant Professor / Librarian / PTI (Senior Scale) and Assistant Professor / Librarian / PTI (Selection Scale).- (1) Eligibility and Procedure for Promotion.-

- (i) For every year, a list for assessment of eligible candidates who fulfill the promotion criteria as laid down in the Regulations, as amended from time to time, is prepared by the Director of Sanskrit Education. The assessment shall be made by the committee constituted under rule 29 and promotion to be made by the Committee specified in clause (i) sub-rule (3) of rule 30.
- (ii) The Academic Performance Indicator (API) based on Performance Based Appraisal System (PBAS) and Assessment Criteria and Methodology as indicated in Appendix-II as specified in the Regulations, as amended from time to time, shall apply.
- (iii) The annual self-appraisal report in the prescribed format based on Appendix-II as specified in the Regulations, as amended from time to time, shall be required for the assessment process.
- (iv) The Annual Performance Appraisal Report and norms as prescribed by the Department of Personnel regarding promotions, as amended from time to time, shall also be applicable for assessment by the Committee.
- (2) The list prepared under sub-rule (1) above by the Committee shall be sent to the appointing authority together with details of all the candidates included in the list as also of those not selected, if any.

33. Criteria, Eligibility and Procedure for Promotion.- (1) As soon as the Appointing Authority determines the number of vacancies under rule regarding determination of vacancies of these rules and decides that a certain number of posts are required to be filled in by promotion, it shall subject to the provisions of sub-rule (6), prepare a correct and complete list of the senior most persons who are eligible and qualified under these rules for promotion on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, to the class of post concerned.

(2) The persons enumerated in the relevant column regarding post from which promotion is to be made, of the relevant Schedule shall be eligible for promotion to posts specified against them in column 2 thereof to the extent indicated in column 3 subject to their possessing minimum qualifications and experience as specified in the relevant column regarding minimum qualification and experience for promotion.

(3) No person shall be considered for first promotion in the service unless he is regularly selected on the post from which promotion is to be made in accordance with one of the methods of recruitment prescribed under the provisions of these rules.

Explanation: In case direct recruitment to a post has been made earlier than regular selection by promotion in a particular year such of the persons who are or were eligible for appointment to that post by both the methods of recruitment and have been appointed by direct recruitment first, shall also be considered for promotion.

(4) No person shall be considered for promotion for three recruitment years from the date on which his promotion becomes due, if he/she has more than two children on or after 1st June, 2002:

Provided that,-

- (i) the persons having more than two children shall not be deemed to be disqualified for promotion so long as the number of children he/she has on 1st June, 2002 does not increase.
- (ii) where a government servant has only one child from the earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.
- (iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- (iv) any person who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for promotion under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

(5) Selection for promotion on the post included in the service shall be made on the basis of seniority-cum-merit:

Provided that promotion on the highest post in the state service if it is at least third promotion shall be made on the basis of merit alone.

Provided further that if the Committee is satisfied that suitable persons are not available for selection by promotion to the highest post(s) strictly on the basis of merit in a particular year, selection by promotion to the highest post(s) on the basis of seniority-cum-merit may be made in the same manner as specified in these rules.

(6) The zone of consideration of persons eligible for promotion shall be as under:-

(i)

Number of vacancies

- (a) for one vacancy
- (b) for two vacancy
- (c) for three vacancy
- (d) for four or more vacancies

Number of eligible persons to be considered

- five eligible persons
- eight eligible persons
- ten eligible persons
- three times the number of vacancies.

- (ii) where, the number of eligible persons for promotion to higher post is less than the number specified above, all the persons so eligible shall be considered.
- (iii) where, adequate number of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, are not available within the zone of consideration specified above, the zone of consideration may be extended upto seven times the number of vacancies and the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be (and not any other), coming within the extended zone of consideration shall also be considered against the vacancies reserved for them.

(iv) For any post in the Service,-

(a) if promotion is from more than one categories of posts in the same pay scale, eligible persons upto two in number from each category of posts in the same pay scale shall be considered for promotion;

(b) if promotion is from more than one categories of posts carrying different pay scales, eligible persons in the higher pay scale shall be considered for promotion first and if no suitable person is available for promotion on the basis of merit or seniority cum merit, as the case may be, in the higher pay scale than only the eligible persons of other categories of posts in lower pay scales shall be considered for promotion and so on and so forth. The zone of consideration for eligibility in this case shall be limited to five senior most eligible persons in all.

(7) Except as otherwise expressly provided in this rule, the conditions of eligibility for promotion, constitution of the Committee and procedure for selection shall be the same as prescribed elsewhere in these rules.

(8) The Committee shall consider the cases of all the senior most persons who are eligible and qualified for promotion to the class of post(s) concerned under these rules and shall prepare a list containing names of the persons found suitable on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, as per the criteria for promotion laid down in these rules equal to the number of vacancies determined under these rules. The list so prepared on the basis of seniority-cum-merit and/or on the basis of merit, as the case may be, shall be arranged in the order of seniority of the category of post(s) from which selection is made.

(9) The Committee may also prepare a list on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, as per the criteria for promotion laid down in these rules, containing names of persons not exceeding the number of persons selected in the list prepared under sub-rule (8) above to fill temporary or permanent vacancies, which may occur subsequently. The list so prepared on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit shall be arranged in the order of seniority in the category of posts from which selection is made. Such a list shall be reviewed and revised by the Committee that meets in the subsequent year and that such list shall remain in force till the end of the last day of the year for which the meeting of the Committee is held.

(10) Lists prepared under sub-rule (8) and (9) shall be sent to the Appointing Authority together with Annual Confidential Reports/Annual Performance Appraisal Reports and other Service Records of all the candidates included in the lists as also of those not selected, if any.

Explanation: For the purpose of selection for promotion on the basis of merit, no person shall be selected if he does not have 'Outstanding' or 'Very Good' record of at least four out of seven years preceding the year for which the meeting of the Committee is held.

(11) If in any subsequent year, after promulgation of these rules vacancies relating to any earlier year are determined under these rules which were required to be filled in by promotion, the Committee shall consider the cases of all such persons who would have been eligible in the year to which the vacancies relate irrespective of the year in which meeting of the Committee is held and such promotion shall be governed by the criteria and procedure for promotion as was applicable in the particular year to which the vacancies relate and the Service/ Experience of an incumbent who has been so promoted, for promotion to higher post for any period during which he has not actually performed the duties of the post to which he would have been promoted, shall be counted. The pay of a person who has been so promoted shall be re-fixed at the pay which he would have derived at the time of his promotion, but no arrears of pay shall be allowed to him.

(12) The Government or the Appointing Authority may order for the review of the proceedings of the Committee held earlier on account of some mistake or error apparent on the face of record, or on account of a factual error substantially affecting the decision of the Committee or for any other sufficient reasons e.g. change in seniority, wrong determination of vacancies, judgment / direction of any Court or Tribunal, or where adverse entries in the Confidential Reports of an individual are expunged or toned down or a punishment inflicted on him is set aside or reduced. The concurrence of the Department of Personnel and the Commission (where Commission is associated) shall always be obtained before holding the meeting of the review committee.

(13) Where consultation with the Commission is necessary, the lists prepared by the Committee shall be forwarded to the Commission by the Appointing Authority along-with the Personal Files and Annual Confidential Rolls/Annual Performance Appraisal Reports of all the persons whose names have been considered by the Committee.

(14) The Commission shall consider the lists prepared by the Committee along-with other relevant documents received from the Appointing Authority and unless any change is considered necessary, shall approve the lists. In case the Commission considers it necessary to make any change in the lists received from the Appointing Authority, it shall inform the Appointing Authority of the changes proposed by it. After taking into account the comments of the Commission, if any, the Appointing Authority may approve the lists finally with such modifications, as may in its opinion, be just and proper and when the Appointing Authority is an authority subordinate to the Government, the lists approved by the Commission shall be disturbed only with the approval of the Government.

(15) Appointments shall be made by the Appointing Authority taking persons out of the lists finally approved under the preceding sub-rule (14) in the order in which they have been placed in the lists, till such lists are exhausted or reviewed and revised or remained in force, as the case may be.

(16) The Government may issue instructions for provisionally dealing with the promotions, appointments or other ancillary matters in an equitable and fair manner of persons who may be under suspension, or against whom departmental proceedings is under progress, at the time promotions are considered to a post to which they are eligible or would have been eligible but for such suspension or pendency of such enquiry or proceedings.

(17) The provisions of this rule shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any provision of these rules.

34. Restriction of promotion of persons foregoing promotions.— In case a person on his appointment by promotion to the next higher post either on the basis of urgent temporary appointment or on regular basis on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, forgoes such an appointment through his written request, and if the concerned Appointing Authority accepts his/her request, the person concerned shall be debarred from consideration for promotion (both on the basis of urgent temporary appointment or on regular basis) for subsequent two recruitment years for which the Departmental Promotion Committee is held and the name of such persons who foregoes promotion shall not be included in the seniority-cum-eligibility list to be placed before the Departmental Promotion Committee for subsequent two recruitment years.

PART-VI

Appointment, Probation and Confirmation

35. Appointment to the service.— Appointment to the post(s) in the service by direct recruitment or by promotion, as the case may be, shall be made by the Appointing Authority on occurrence of substantive vacancies from the candidates selected under rule 26 in order of merit and by promotion from persons selected under rule 33 of these rules.

36. Appointment to senior post.— Appointment to the senior post(s) shall be made by the Appointing Authority by direct recruitment/or by promotion/or by selection, as indicated in column 3 and 5 of the Schedule-I. The promotions shall be made from amongst the members of the service in accordance with the provisions contained in Part-V of these rules.

37. Urgent temporary appointment.— (1) A vacancy in the service which cannot be filled in immediately either by direct recruitment or by promotion under these rules may be filled in by the Government or by the Authority competent to make appointments, as the case may be, by appointing in an officiating capacity thereto an officer eligible for appointment to the post by promotion or by appointing temporarily thereto a person eligible for direct recruitment to the service, where such direct recruitment has been provided under the provisions of these rules:

Provided that such an appointment shall not be continued beyond a period of one year without referring the case to the Commission for concurrence, where such concurrence is necessary, and shall be terminated immediately on its refusal to concur.

Provided further that in respect of the service or a post in the service for which both the methods of recruitment have been prescribed, the Government or the Appointing Authority, as the case may be, competent to make appointment, shall not, save with the specific permission of the Government in the Department of Personnel in the case of State Services and Government in the Administrative Department concerned in respect of other services, fill the temporary vacancy against the direct recruitment quota by a whole-time appointment for a period not exceeding three months, other-wise than out of person eligible for direct recruitment and after a short-term advertisement.

(2) In the event of non-availability of suitable persons fulfilling the requirements of eligibility for promotion, Government may, notwithstanding the condition of eligibility for promotion required under sub-rule (1) above, lay down general instructions for grant of permission to fill the vacancies on urgent temporary basis subject to such conditions and restrictions regarding pay and other allowances as it may direct. Such appointments shall however be subject to concurrence of the Commission as required under the said sub-rule.

38. Seniority.— Seniority of persons appointed to the post encadred in the service shall be determined from the date of appointment on the post after regular selection in accordance with the provisions of these rules. Appointment on ad-hoc or urgent temporary basis shall not be deemed to be appointment after regular selection:

Provided that,-

- (i) the seniority inter-se of persons appointed to posts in a particular group by direct recruitment on the basis of one and the same selection, except those who do not join service when a post is offered to them, shall follow the order in which their names have been placed in the list prepared under rule 26.
- (ii) the seniority inter-se of persons appointed to posts in a particular group by promotion shall follow the order in which their name have been placed in the lists prepared under sub-rule (8) of rule 33.
- (iii) the seniority inter-se of persons appointed by promotion to posts in the same group from different posts in the same year, shall be determined from the date of their substantive appointment on the post from which promotion was made.
- (iv) if two or more persons are eligible for promotion, the seniority list of eligible candidates shall be prepared on the basis of date of regular appointment on the post from which promotion is to be made.
- (v) the persons selected and appointed as a result of a selection, which is not subject to review and revision, shall rank senior to the persons who are selected and appointed as a result of subsequent selection.

- (vi) the seniority inter-se of persons selected on the basis of seniority-cum-merit and on the basis of merit in the same selection shall be the same as in the next below grade.
- (vii) the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees, with consequential seniority, shall continue till the roster points are exhausted and adequacy of promotion is achieved. Once the roster points are complete the theory of replacement shall thereafter be exercised in promotion whenever vacancies earmarked for Scheduled Castes / Scheduled Tribes employees occur.

Explanation: Adequate representation means 16% representation of the Scheduled Castes and 12% representation of the Scheduled Tribes in accordance with the roster point.

39. Period of probation.— (1) A person entering the service by direct recruitment against a clear vacancy shall be placed as probationer-trainee for a period of two years:

Provided that any period after such appointment during which a person has been on deputation on a corresponding or higher post shall count towards the period of probation.

(2) During the period of probation specified in sub-rule (1), each such probationer-trainee may be required to pass such Departmental Examination and to undergo such training as the Government may, from time to time, specify.

40. Confirmation in certain cases.— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the preceding rule, a person appointed to a post in the Service temporarily or on officiating basis who, after regular recruitment by any one of the methods of recruitment prescribed under these rules, has not been confirmed, within a period of six months after satisfactory completion of the period of probation of two years service in case he is appointed by direct recruitment as a probationer-trainee or within a period of one year's service in case he is appointed by promotion, shall be entitled to be treated as confirmed in accordance with his seniority if,-

- (i) he has worked on the post or higher post under the same Appointing Authority or would have so worked but for his deputation or training;
- (ii) he fulfills conditions as are prescribed under rule relating to confirmation subject to the quota prescribed under these rules; and
- (iii) permanent vacancy is available in the department.

(2) If an employee referred to in sub-rule (1) above fails to fulfil the conditions mentioned in the said sub-rule the period mentioned in sub-rule (1) above, may be extended as prescribed for a probationer-trainee under the Rajasthan Civil Services (Departmental Examinations) Rules, 1959 and any other rules or by one year whichever is longer. If the employee still fails to fulfill the conditions mentioned in sub-rule (1) above, he will be liable to be discharged or terminated from such post in the same manner as a probationer-trainee or reverted to his substantive or lower post, if any, to which he may be entitled.

(3) The employee referred to in sub-rule (1) above, shall not be debarred from confirmation after the said period of service if no reasons to the contrary about the satisfactory performance of his/her work are communicated to him within the said period of service.

(4) The reasons for not confirming of any employee referred to in sub- rule (1) above shall be recorded by the Appointing Authority in his Service Book and Annual Performance Appraisal Report.

Explanation: (i) Regular recruitment for the purpose of this rule shall mean,-

- (a) Appointment by either method of recruitment or on initial constitution of service in accordance with the rules made under the proviso to Article 309 of the Constitution of India;
- (b) Appointment to the post for which no Service Rules exist if the post is within the purview of the Commission, recruitment in consultation with them;
- (c) Appointment by transfer after regular recruitment where the Service Rules specifically permit;
- (d) Persons who have been made eligible for substantive appointment to a post under these rules shall be treated as having been regularly recruited:

Provided that it shall not include urgent temporary appointment or officiating promotion which is subject to review and revision.

- (ii) Persons who hold lien on another cadre shall be eligible to be confirmed under this rule and they will be eligible to exercise an option whether they do not elect to be confirmed on the expiry of two years of their temporary appointment under this rule. In the absence of any option to the contrary, they shall be deemed to have exercised option in favour of confirmation under this rule and their lien on the previous post shall cease.

41. Unsatisfactory progress during period of probation.— If it appears to the Appointing Authority, at any time, during or at the end of the period of probation, that services of a probationer trainee are not found to be satisfactory, the Appointing Authority may revert him/her to the post on which he/she is regularly selected immediately preceding his/her appointment as probationer trainee or in other cases may discharge or terminate him/her from service. The Appointing Authority shall accord appropriate opportunity to the probationer trainee before final orders are passed in this respect:

Provided that the Appointing Authority may, if it so thinks fit in any case or class of cases, extend the period of probation of any probationer trainee by a specified period not exceeding one year.

42 .Confirmation.— A person placed on probation under rule 39 shall be confirmed in his/her appointment at the end of his/her period of probation, if,-

- (a) he/she has passed the departmental examination and has successfully undergone such training as Government may, from time to time, specify, if any completely;
- (b) he/she has passed a departmental test of proficiency in Hindi; and
- (c) the Appointing Authority is satisfied that his/her integrity is unquestionable and that he/she is otherwise fit for confirmation

PART-VII

Pay

43. Scale of pay.— The scale of monthly pay of a person appointed to a post in the service shall be such as may be admissible under the rules referred to in rule 45 or as may be sanctioned by the Government, from time to time.

44. Pay during probation.— A probationer trainee appointed to the service by direct recruitment, shall be paid monthly fixed remuneration during the period of probation at such rates as may be fixed by the Government, from time to time:

Provided that an employee having been regularly selected as per provisions of recruitment rules in the Government service may be allowed emoluments in his/her own Pay in the level of Pay Matrix of the post during service as probationer trainee or fixed remuneration of the new post whichever is advantageous to him/her, as per rule 24 of Rajasthan Service Rule, 1951.

45. Regulation of Pay, Leave, Allowances, Pension, Contributory Pension etc.— Except as provided in these rules, the pay, allowances, contributory pension, leave and other conditions of service of the members of the service, shall be regulated by,-

- (i) the Rajasthan Service Rules, 1951, as amended from time to time;
- (ii) the Rajasthan Civil Services (Classification, Control, and Appeal) Rules, 1958, as amended from time to time;
- (iii) the Rajasthan Traveling Allowances Rules, 1971, as amended from time to time;
- (iv) the Rajasthan Civil Services (Conduct) Rules, 1971, as amended from time to time;
- (v) the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, as amended from time to time;
- (vi) the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1998, as amended from time to time;
- (vii) the Rajasthan Civil Services (Contributory Pension) Rules, 2005, as amended from time to time;

- (viii) the Rajasthan Civil Services (Revised Pay for Government Sanskrit College Teachers) Rules, 2012, effective from 01-01-2006, as amended from time to time.
- (ix) the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, as amended from time to time ;
- (x) any other rules prescribing general conditions of service made by the appropriate authority under the proviso to Article 309 of the Constitution of India and for the time being in force.

46. Removal of doubt.— If any doubt arises relating to the application and scope of these rules, it shall be referred to the Government in the Department of Personnel whose decision thereon shall be final.

47. Repeal and Saving.— The Rajasthan Sanskrit Education Service Rules, 1977 and orders issued in relation to the matters covered by these rules are hereby repealed:

Provided that any action taken under the rules and orders so repealed shall be deemed to have been taken under the provisions of these rules.

48. Power to relax rules.— In exceptional cases where the Administrative Department of the Government is satisfied that operation of the rules relating to age or regarding requirement of experience for recruitment causes undue hardship in any particular case or where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to relax any of the provisions of these rules with respect to age or experience of any person, it may, with the concurrence of the Department of Personnel, and in consultation with the Commission where necessary, by order dispense with or relax the relevant provisions of these rules to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner, provided that such relaxation shall not be less favourable than the provisions already contained in these rules. Such cases of relaxation shall be referred to the Commission by Administrative Department concerned:

Provided that relaxation in the prescribed period of service or experience under this rule shall only be granted to the extent of 1/3 period of the service or experience prescribed for promotion to any post before holding the meeting of the Departmental Promotion Committee.

Provided further that where the prescribed period of experience for promotion to any post is less than 6 years, a committee headed by the Chief Secretary comprising of Principal Secretary Finance, Principal Secretary/Secretary Department of Personnel and Principal Secretary/Secretary of Administrative Department, may consider the cases where forty five percent or more posts are vacant. The committee is empowered to suggest the quantum of relaxation in experience which may be granted in such cases to address the issue of large number of vacancies in promotional posts subject to condition that such relaxation in experience shall not be more than two years.

SCHEDULE-I

S.No.	Name of Post	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post(s) from which selection/promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion/selection	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Director	100% by Selection	--	Principal of College / Joint Director	Three years experience on the post mentioned in column 5	<p>1. The Government may appoint an IAS officer or officer of higher super-time scale of RAS, at any time whenever situation so warrants.</p> <p>2. Director shall draw pay in his own pay scale.</p> <p>3. Selection of the Director shall be made through Selection Committee from the Principal of Sanskrit College Education / Joint Director</p>
2.	Principal of College / Joint Director	100% by Selection	-	<p>1. Professor</p> <p>2. Associate Professor including Lecturers (Selection Scale)/ Assistant Director / Professor drawing pay in AGP of 9000 re-designated as Associate Professor as per remark in column 7 against serial number 4.</p>	<p>A. Eligibility:</p> <p>1. Ph.D. Degree</p> <p>2. Professor / Associate Professor / Assistant Director with total service / experience of at least 15 years.</p> <p>3. A minimum of 10 research publications in peer -</p>	<p>1. Professor selected on the post of Principal shall draw pay in his own pay scale plus special allowance prescribed for the post of Principal.</p> <p>2. Professor posted as Joint Director shall draw pay in his own pay scale.</p> <p>3. Selection of the Principal/ Joint Director shall be made through</p>

					<p>reviewed or UGC listed Journals.</p> <p>4. A minimum of 110 research score as per Appendix -II Table -2 of the Regulations.</p> <p>B- Tenure:</p> <p>1.A college principal shall be appointed for a period of five years, extendable for another term of five years on the basis of performance assessment by a committee appointed by the university, constituted as per the regulations.</p> <p>2. After the completion of his/her term as principal, the incumbent shall join back his/her parent organization with the designation as professor and in the grade of the Professor.</p>	Selection Committee from posts mentioned in column 5.
3.	Professor	100% by promotion	-	Associate Professor	Associate Professor shall be eligible for promotion as Professor subject to qualifying conditions as laid down in the Regulations, as amended	

					from time to time	
4.	Associate Professor	100% by promotion	-	Assistant Professor (Selection Scale)	Assistant Professor (Selection Scale) shall be eligible for promotion as Associate Professor subject to qualifying conditions as laid down in the Regulations, as amended from time to time.	Lecturers (Selection Scale)/ Assistant Director / Professor drawing pay in AGP of 9000 shall be re-designated as Associate Professor. The existing post of Professor/Assistant Director shall be a dying cadre with respect to FD Notification dated 23-10-2012.
5.	Assistant Professor (Selection Scale)	100% by promotion	-	Assistant Professor (Senior Scale)	As laid down in the Regulations, as amended from time to time	Lecturer (Selection Scale) shall be re-designated as Assistant Professor (Selection Scale)
6.	Assistant Professor (Senior Scale)	100% by promotion	-	Assistant Professor	As laid down in the Regulations, as amended from time to time.	Lecturer (Senior Scale) shall be re-designated as Assistant Professor (Senior Scale).
7.	Assistant Professor	100% by direct recruitment	For Sanskrit subject 1. A Acharya Degree with 55% marks (or an equivalent grade in point scale wherever grading system is followed) in a concerned/relevant/allied subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign			1-Lecturer shall be re-designated as Assistant Professor. 2-Minimum qualification and experience for direct recruitment for Sanskrit subject and for subjects other than Sanskrit are subject to provisions As laid down in the Regulations, as amended from time to time.

			<p>university.</p> <p>2. Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) in subject concerned conducted by the U.G.C. or similar test accredited by the UGC like SLET / SET.</p> <p>3. Candidates who are, or have been awarded a Ph.D. degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET / SLET / SET for recruitment and appointment of Assistant Professor:</p> <p>Provided that the candidates</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>registered for the Ph.D degree prior to July 11, 2009 shall be governed by the provisions of the then existing ordinances/ bye-laws/ regulations of the institutions awarding the degree, and such Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions:-</p> <p>(a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in the regular mode</p> <p>(b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;</p> <p>(c) Open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;</p> <p>(d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>at least one is in a refereed journal;</p> <p>(e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conferences/seminars sponsored/funded/supported by the UGC/ICSSR/CSIR or any similar agency.</p> <p>Note:</p> <p>(i) The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.</p> <p>(ii) NET/SLET/SET shall also not be required for candidates in such Master's Programmes for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.</p> <p>OR</p> <p>The Ph.D degree has been obtained from a foreign university/institution with a ranking among top 500 in the World</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>University Ranking (at any time) by any one of the following.</p> <p>(i) Quacquarelli Symonds (QS)</p> <p>(ii) the times Higher Education (THE) or (iii) the Academic Ranking of World Universities (ARWU) of the Shanghai Jiao Tong University (Shanghai).</p> <p>Note: The Academic score as specified in Appendix II (Table 3 A) for universities, and Appendix II (Table 3 B) for colleges, shall be considered for short-listing of the candidates for interview only, and the selection shall be based only on the performance in the interview.</p> <p>For subjects other than Sanskrit</p> <p>1. A Master's Degree with 55% marks (or an equivalent grade in point scale wherever grading system is followed) in a concerned/relevant/allied subject from an Indian University, or</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>an equivalent degree from an accredited foreign university.</p> <p>2. Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the U.G.C. or similar test accredited by the UGC like SLET / SET.</p> <p>3. Candidates who are, or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET / SLET / SET for recruitment and appointment of Assistant</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Professor: Provided that the candidates registered for the Ph.D degree prior to July 11, 2009 shall be governed by the provisions of the then existing ordinances/ bye-laws/ regulations of the institutions awarding the degree, and such Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions:-</p> <p>(a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in the regular mode</p> <p>(b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;</p> <p>(c) Open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;</p> <p>(d) The candidate has published two research papers from his/her</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Ph.D. work out of which at least one is in a refereed journal;</p> <p>(e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conferences/seminars sponsored/funded/supported by the UGC/ICSSR/CSIR or any similar agency.</p> <p>Note:</p> <p>(i) The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.</p> <p>(ii) NET/SLET/SET shall also not be required for candidates in such Master's Programmes for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.</p> <p>OR</p> <p>The Ph.D degree has been obtained from a foreign university/institution with a ranking among top 500 in the World University</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Ranking (at any time) by any one of the following.</p> <p>(i) Quacquarelli Symonds (QS)</p> <p>(ii) the times Higher Education (THE) or (iii) the Academic Ranking of World Universities (ARWU) of the Shanghai Jiao Tong University (Shanghai).</p> <p>Note: The Academic score as specified in Appendix II (Table 3 A) for universities, and Appendix II (Table 3 B) for colleges, shall be considered for short-listing of the candidates for interview only, and the selection shall be based only on the performance in the interview.</p>			
8.	Librarian (Selection Scale)	100% by promotion	—	Librarian (Selection Scale)	As laid down in the Regulations, as amended from time to time	
9.	Librarian (Selection Scale)	100% by promotion	—	Librarian (Senior Scale)	As laid down in the Regulations, as amended from time to time	
10.	Librarian (Senior Scale)	100% by promotion	—	Librarian	As laid down in the Regulations, as amended from time to time	

11.	Librarian	100% by direct recruitment	<p>1. Master's Degree in Library Science / Information Science / Documentation Science or an equivalent professional degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in point scale wherever grading system is followed)</p> <p>2. A consistently good academic record with knowledge of computerization of library.</p> <p>3. Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have qualified the national level test (NET) in subject concerned conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC or Candidates who are, or have been awarded a Ph.D. degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be:</p>	-	-	

			<p>Provided that the candidates registered for the Ph.D degree prior to July 11, 2009 shall be governed by the provisions of the then existing ordinances/ bye-laws/ regulations of the institutions awarding the degree, and such Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges /Institutions subject to the fulfillment of the following conditions:-</p> <p>(a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in the regular mode</p> <p>(b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;</p> <p>(c) Open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;</p> <p>(d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one is in a refereed journal;</p> <p>(e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conferences/semin</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>ars sponsored /funded/supported by the UGC/ICSSR/CSIR or any similar agency.</p> <p>Note:</p> <p>(i) The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.</p> <p>(ii) NET/SLET/SET shall also not be required for candidates in such Master's Programmes for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.</p>			
12.	Physical Training Instructor (PTI) (Selection Scale)	100% by promotion	—	Physical Training Instructor (PTI) (Selection Scale)	As laid down in the Regulations, as amended from time to time.	
13.	Physical Training Instructor (PTI) (Selection Scale)	100% by promotion	—	Physical Training Instructor (PTI) (Senior Scale)	As laid down in the Regulations, as amended from time to time.	
14.	Physical Training Instructor (PTI) (Senior Scale)	100% by promotion	—	Physical Training Instructor (PTI)	As laid down in the Regulations, as amended from time to time.	
15.	Physical Training Instructor (PTI)	100% by direct recruitment	(i) A Master's Degree in Physical Education and Sports or Physical Education or Sports Science with			

			<p>55%marks (or an equivalent grade in a point-scale, wherever the grading system is followed)</p> <p>(ii) Record of having represented the university / college at the inter-university /inter-collegiate competitions or the State and/ or national championships.</p> <p>(iii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test(NET), in subject concerned conducted by the UGC or CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET/SET, or who are or have been awarded a Ph.D. Degree in Physical Education or Physical Education and Sports or Sports Science, in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time, as the case may be:</p> <p><i>Provided that,</i> candidates registered for the Ph.D. degree prior to July 11, 2009,</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ Bye-laws/Regulations of the Institutions awarding the degree and such Ph.D. degree holders shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges /Institutions, subject to the fulfillment of the following conditions:-</p> <p>(a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in regular mode;</p> <p>(b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;</p> <p>(c) Open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;</p> <p>(d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one is in a refereed journal;</p> <p>(e) The candidate has presented at least two research papers in conference/seminar, based on his/her Ph.D work.</p> <p>Note: <i>The fulfilment of these conditions (a) to (e) is to be certified by the Registrar or the</i></p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p><i>Dean(Academic Affairs) of the University concerned.</i></p> <p>(iv) NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.</p> <p>(v) Passed the physical fitness test conducted in accordance with these Regulations.</p> <p>OR</p> <p>B. An Asian game or commonwealth games medal winner who has a degree at least at Post-Graduation level.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

Schedule –II

(See rule 25)

Scheme and syllabus of examination for the post of Assistant Professor, Librarian and Physical Training Instructor

1. The scheme of competitive examination shall consist of,-

- (i) written examination: and
(ii) Interview.

A. Written examination:

The written examination shall consist of the following papers carrying the marks and time allowed, as shown against them: -

Paper	Subjects	Marks	Time
I	Subject concerned with the post	75	3 hours
II	Subject concerned with the post	75	3 hours
III	General studies of Rajasthan	50	2 hours
	Total Marks	200	

B. Interview:

- (i) The interview shall carry 24 marks.
- (ii) To the extent of three times of total number of vacancies (category wise), the candidates who obtain such minimum qualifying marks in written examination as may be fixed by the Commission shall be summoned for interview.

2. Syllabus:

The syllabus shall be such as specified by the Commission, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

[No. F. 1 (1) DOP/ (A-II)/2022]

**By Order and in the name of the Governor,
RAM NIWAS MEHTA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.**

Government Central Press, Jaipur.